

# Sixteenth Lok Sabha

## XVI Session (11/12/2018 to 08/01/2019)

### लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 11 दिसंबर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक)

संख्या 305

पूर्वाह्न 11.00 बजे

#### 1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

#### 2. संकल्प और निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर सभा के समक्ष एक संकल्प\* रखा।

संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

अध्यक्ष ने इसके बाद भूतपूर्व लोक सभा अध्यक्ष तथा पांचवी से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी; वर्तमान सदस्य एवं रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री अनन्त कुमार; वर्तमान सदस्य, डॉ॰ भोला सिंह; वर्तमान सदस्य, श्री एम॰आई॰ शनवास; तथा वर्तमान सदस्य, श्री मोहम्मद असरारुल हक के निधन के बारे में उल्लेख किया।

\*मूल हिन्दी में, बौरे के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और उसके उपरांत सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।

### 3. प्रश्न

चूँकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के बाद स्थगित हो गई इसलिए तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर नहीं दिए जा सके। अतः इस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न सं० 1-20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1-230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

पूर्वाह्न 11.25 बजे

(लोक सभा बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

# लोक सभा

समाचार—भाग 1  
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 12 दिसंबर, 2018/21 अग्रहायण, 1940 (शक)

संख्या 306

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. सदस्यों द्वारा शपथ

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

| क्रम सं० | सदस्य का नाम             | निर्वाचन क्षेत्र | राज्य   | शपथ/प्रतिज्ञान | भाषा   |
|----------|--------------------------|------------------|---------|----------------|--------|
| 1.       | श्री वी०एस० उगरप्पा      | बेल्लारी         | कर्नाटक | शपथ            | कन्नड़ |
| 2.       | श्री एल०आर० शिवराम गौड़ा | मांड्या          | कर्नाटक | शपथ            | कन्नड़ |

पूर्वाह्न 11.04 बजे

## 2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री मंसूर अली खान (सदस्य, तेरहवीं लोक सभा); श्री पूरन चन्द्र (सदस्य, आठवीं लोक सभा); श्री पी० माणिक रेड्डी (सदस्य, आठवीं लोक सभा); श्री गुरुदास कामत (सदस्य, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा); श्री मोहन जैन (सदस्य, छठी लोक सभा); श्री शांताराम पोतदुखे (सदस्य, सातवीं से दसवीं

लोक सभा); श्रीमती कमला कुमारी (सदस्य, चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा); श्री एन०डी० तिवारी (सदस्य, सातवीं, ग्यारहवीं और तेरहवीं लोक सभा); श्री मदन लाल खुराना (सदस्य, नौवीं, दसवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा); श्री नारायण स्वरूप शर्मा (सदस्य, चौथी लोक सभा); और श्री सी०के० जाफर शरीफ (सदस्य, पांचवीं से दसवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा) के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

### 3. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनका नाम तारांकित प्रश्न सं० 21 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्य द्वारा तारांकित प्रश्न सं० 21 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.17 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 22—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

### 4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

### 5. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सूचित किया कि मेघालय के तुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री कोनराड कोंगकल संगमा, जिन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, का त्यागपत्र उन्होंने 04 सितम्बर, 2018 से स्वीकार कर लिया है।

### 6. अध्यक्ष द्वारा बधाई

सभा की ओर से अध्यक्ष ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के दल को 05.12.2018 को दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच स्पेस पोर्ट ऑफ कोरू से जीसैट-11 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण करने व साथ ही 14 और 29 नवम्बर, 2018 को जीसैट-29 उपग्रह तथा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह (एचवाईएसआईएस) के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी।

उन्होंने आगे राज्य सभा की सदस्य, श्रीमती एम०सी० मैरी कॉम को 24 नवम्बर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलो वर्ग में छठा ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने तथा सुश्री सोनिया चहल को 57 किलो वर्ग में रजत पदक जीतने पर बधाई दी।

अपराहन 12.04 बजे

## 7. सभा पटल पर रखे गये पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये:—

- (1) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गदंकी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गदंकी के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, शिलाँग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (7) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रपति द्वारा 19 सितम्बर, 2018 को प्रख्यापित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 7)।
- (दो) राष्ट्रपति द्वारा 26 सितम्बर, 2018 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 8)।
- (तीन) राष्ट्रपति द्वारा 2 नवम्बर, 2018 को प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 9)।

#### 8. विधेयकों पर अनुमति

- (एक) महासचिव ने सोलहवीं लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त 8 विधेयक सभा पटल पर रखे चूंकि सभा को 10 अगस्त, 2018 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था:—
1. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2018
  2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2018
  3. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2018
  4. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2018
  5. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
  6. एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
  7. संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
  8. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018

(दो) महासचिव ने सभा पटल पर संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त, तथा महासचिव राज्य सभा द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित 10 विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

1. भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018
2. विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2018
3. परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2018
4. संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) विधेयक, 2018
5. दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018
6. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
7. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018
8. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018
9. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018; और
10. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018

#### 9. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'सीमा सुरक्षा बलों की कार्य दशाएं (असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल)' के बारे में समिति का 214वां प्रतिवेदन।
- (2) 'गैर-सीमा सुरक्षा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कार्य दशाएं (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड)' के बारे में समिति का 215वां प्रतिवेदन।

#### 10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री

तथा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री की ओर से जैव प्रद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 309 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंधी में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

- (2) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 312वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 299वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 307वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 314वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

#### 11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

##### *बांध सुरक्षा विधेयक, 2018*

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा श्री नितिन जयराम गडकरी की ओर से प्रस्तुत बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को पुर: स्थापित करने के लिए अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया गया।

श्री भर्तृहरि महताब ने विधेयक को पुर: स्थापित किए जाने का विरोध किया तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए। तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित हुआ।



अपराहन 12.12 बजे

## 12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड में मसूरी और देहरादून के बीच एक ट्वाय ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा देश में खेल संघों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री देवजी एम० पटेल द्वारा राजस्थान में जालौर किले पर रोपवे सेवा को शीघ्र आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री कीर्ति (झा) आजाद द्वारा बिहार के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराए जाने और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण अपनी फसल गवां चुके किसानों को मुआवजा भी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में चन्द्रपुरा और बोकारों में नए तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के देबुआ पोसी में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री सुशील कुमार सिंह का बिहार के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड में छात्रों की कम संख्या वाले विद्यालयों को बंद किए जाने संबंधी कार्रवाई को रोकने और राज्य में पैरा शिक्षकों की सेवाओं को भी नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान में उदयपुर शहर को बी-2 श्रेणी के शहरों में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा खाद्य वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने और प्लास्टिक कचरे के पुनःचक्रीकरण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) डॉ० उदित राज द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा बाढ़ से प्रभावित केरल को विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री वी० एलुमलाई द्वारा चक्रवात प्रभावित तमिलनाडु को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री के० अशोक कुमार द्वारा तमिलनाडु में बहुदेशीय चक्रवात केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 'तितली' चक्रवात द्वारा मचाई गई तबाही के बारे में।
- (16) श्री पी० करुणाकरन द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में तुलू भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में राजगीर, नालंदा और बोध गया का सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री राजू शेट्टी द्वारा देश में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में कोल्लम के पुनालुर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.15 बजे

(व्यवधान के कारण, लोकसभा गुरुवार, 13 दिसम्बर 2018 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थागित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

# लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 13 दिसंबर, 2018/22 अग्रहायण, 1940 (शक)

संख्या 307

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. सदस्य द्वारा शपथ

श्री बी०वाई० राघवेन्द्र, जो कर्नाटक के शिमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य हैं, ने अंग्रेजी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किया और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

## 2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री एम०एच० अम्बरीश के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 13 दिसंबर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की सत्रहवीं बरसी का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा तथा वह सुरक्षाकर्मी, जिन्होंने आतंकवादी हमले को निष्फल करने में अपने प्राणों का बलिदान दिया, के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

### 3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे स्थगित हुई और  
पूर्वाह्न 11.20 बजे पुनः समवेत हुई।)

पूर्वाह्न 11.20 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.25 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 42—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

### 4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461-690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

### 5. सभा पटल पर रखे गये पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) कामराजार पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कामराजार पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (चार) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (तीन) दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट, गांधीधाम के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
  - (दो) मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
  - (तीन) मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
  - (चार) मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) वी०ओ० चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) वी० ओ० चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
  - (दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
  - (तीन) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (12) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्साइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्साइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्साइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्साइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

## 6. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने प्राक्कलन समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—



- (1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्यनिष्पादन' विषय के बारे में समिति का 30वां प्रतिवेदन।
- (2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित 'परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए यूरैनियम का आयात' विषय के बारे में समिति का 31वां प्रतिवेदन।

#### 7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

श्रीमती अंजू बाला ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जून, 2018 के दौरान मनाली, मंडी, शिमला और चंडीगढ़ के अध्ययन दौरे के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

#### 8. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रत्न लाल कटारिया ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 44वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

#### 9. कार्य मंत्रणा समिति

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का सप्तावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

\*अपराह्न 12.07 बजे

#### 10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा कानपुर और कबरई के मध्य एनएच-86 को चार लेन में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) प्रो० रिचर्डहे द्वारा केरल में रेलवे मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में
- (3) डॉ० किरिट पी० सोलंकी द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में।
- (4) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा हरियाणा के अम्बाला में वेयरहाउसिंग हब स्थापित किए जाने के बारे में।

---

\*अपराह्न 12.04 बजे से 12.06 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (5) श्री आर० धुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में मसाला बोर्ड का कार्यालय स्थापित किए जाने के बारे में।
- (6) डॉ० शशि थरूर द्वारा प्रताड़ना निषेधक विधान लाए जाने के बारे में।
- (7) श्रीमती वी० सत्यबामा द्वारा देश में वस्त्र उद्योग की समस्याओं के बारे में।
- (8) श्री बी० सेनगुट्टुवन द्वारा विद्यालयी पाठ्यक्रम में तिरुकुरल दर्शन को समाविष्ट किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा मुम्बई उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मछुआरे समुदाय की समस्याओं के बारे में।
- (10) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में श्वेत पत्र जारी किए जाने के बारे में।
- (11) श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा पंजाब में रेल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

# लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 14 दिसंबर, 2018/23 अग्रहायण, 1940 (शक)

संख्या 308

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न सं० 61 और 62 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 63—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

## 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

## 3. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सूचित किया कि जम्मू और कश्मीर के लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री थुपस्तान छेवांग, जिन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, का त्यागपत्र उन्होंने 13 दिसम्बर, 2018 से स्वीकार कर लिया है।

#### 4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

- (1) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
  - (i) का०आ० 3846(अ) जो 2 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में पादपों और प्राणियों की विलुप्तप्राय प्रजातियों की अधिसूचना के बारे में है।
  - (ii) का०आ० 3845(अ) जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू और कश्मीर राज्य में पादपों और प्राणियों की विलुप्तप्राय प्रजातियों की अधिसूचना के बारे में है।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (एक) सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिनिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिनिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (एक) भगोड़ा आर्थिक अपराधी (संपत्ति की कुर्की की रीति) नियम, 2018 जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 804 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) भगोड़ा आर्थिक अपराधी की घोषणा (आवेदन दायर करने का प्ररूप और रीति) नियम, 2018 जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 805(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (तीन) भगोड़ा आर्थिक अपराधी (अनुबंधकर्ता राज्य को अनुरोध पत्र प्रेषित करने की प्रक्रिया) नियम, 2018 जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 806 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) भगोड़ा आर्थिक अपराधी (खोज और जब्ती की प्रक्रिया) नियम, 2018 जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 807(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भगोड़ा आर्थिक अपराधी (अधिहृत संपत्ति की प्राप्ति तथा प्रबंध की रीति और शर्तें) नियम, 2018 जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 808 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 9 के खंड (क) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 4152(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ऐसे अधिकारियों, जो प्रवर्तन निदेशालय में सहायक निदेशक की पंक्ति से अनिम्न हों, को किसी व्यक्ति की तलाशी और ऐसे अभिलेख या संपत्ति, जो कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या उसके सुसंगत हो, को जब्त करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) भगोड़ा आर्थिक अधिनियम, 2018 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० का० आ० 4153(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रशासक के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के विशेष प्रवर्तन निदेशकों की नियुक्ति के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सा०का०नि० 927(अ) जो 26 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उक्त अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सांविधिक दर का संशोधन करके, उसमें उल्लिखित, विनिर्दिष्ट टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत आने वाले माल पर आधारभूत सीमा-शुल्क में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांकांनि 1027(अ) जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उक्त अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सांविधिक दर का संशोधन करके, उसमें उल्लिखित, विनिर्दिष्ट टैरिफ शीर्षों के अंतर्गत आने वाले माल पर आधारभूत सीमा-शुल्क में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (8) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकांनि 928(अ) जो 26 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 929(अ) जो 26 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 57/2017-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 930(अ) जो 26 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 52/2017-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 1028(अ) जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 57/2017-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि 1029(अ) जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित मदों के लिए प्रयुक्त प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेम्बली पर आधारभूत सीमा-शुल्क से छूट को वापस लेना और 10 प्रतिशत बीसीडी अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

## 5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि 12 दिसम्बर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में, राज्य सभा ने राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित कर दिया है।

## 6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

*राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018*

## 7. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोक लेखा समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'रक्षा संपदा प्रबंधन' के बारे में समिति के 89वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 113वां प्रतिवेदन।
- (2) 'हल्के लड़ाकू विमान की अभिकल्पना, विकास, विनिर्माण और समावेशन का निष्पादन लेखापरीक्षा' विषय संबंधी 114वां प्रतिवेदन।
- (3) 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम का निष्पादन लेखापरीक्षा और ईएसआईसी की आयुर्विज्ञान शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा' के बारे में समिति के 67वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 115वां प्रतिवेदन।
- (4) 'स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय और प्रभारित विनियोग (2013-14)' के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 116वां प्रतिवेदन।
- (5) 'स्वीकृत अनुदानों से अधिक व्यय और प्रभारित विनियोग (2014-15)' के बारे में समिति के 68वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 117वां प्रतिवेदन।

## 8. कृषि संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री जनार्दन मिश्र ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के 'देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पर आधारित समग्र कृषि अनुसंधान' विषय पर 39वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 55वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 56वां प्रतिवेदन।
- (3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

## 9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेश पाण्डेय ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'भारत में बौद्ध परिपथ का विकास' के बारे में 262वां प्रतिवेदन।
- (2) 'नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 257वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 263वां प्रतिवेदन।
- (3) 'संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 264वां प्रतिवेदन।
- (4) 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 259वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 265वां प्रतिवेदन।



- (5) 'पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 260वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 266वां प्रतिवेदन।
- (6) 'पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 261वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 267वां प्रतिवेदन।

#### 10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) महिला और बाल विकास मंत्री की ओर से महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 304वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) (मांग संख्या 42) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 99वें और 103वें प्रतिवेदन तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) (मांग संख्या 43) के बारे में समिति के 100वें और 104वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

#### 11. संसदीय कार्य मंत्रालय से राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 17 दिसम्बर, 2018 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

#### 12. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 13 दिसम्बर, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 57वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

*भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018*

14. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 8) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

15. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

*केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018*

अपराह्न 12.10 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा सोमवार, 17 दिसम्बर, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

सोमवार, 17 दिसंबर, 2018/26 अग्रहायण, 1940 (शक)

---

संख्या 309

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने भारत का दौरा करने वाले जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेम्बली के स्पीकर श्रद्धेय माननीय न्यायमूर्ति डॉ॰ पैट्रिक मातिबीनी तथा जाम्बिया गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए माननीय अतिथियों के रूप में इसकी घोषणा की।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

## 2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 82—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

### 3. अतारंकित प्रश्न

अतारंकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

### 4. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि तेलंगाना के मलकाजगिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य, श्री सी०एच० मल्ला रेड्डी ने लोक सभा में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने 14 दिसम्बर, 2018 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

### 5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
  - (क) (एक) भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
  - (दो) भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
  - (दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ग) (एक) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
  - (दो) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (घ) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2018 जो 24 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 671(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मिजरिन्ग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मिजरिन्ग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), रामनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर) रामनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैड टूल्स),

जालंधर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।



- (17) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट), आगरा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) फ्रेग्रेस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फ्रेग्रेस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 11 के अंतर्गत जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति संशोधन आदेश, 2018 जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5670(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (i) (क) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ii) (क) उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (iii) (क) कुमारकुप्पा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) कुमारकुप्पा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (iv) (क) पांडिचेरी अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) पांडिचेरी अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (v) (क) रांची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) रांची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (vi) (क) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

( एक ) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

( दो ) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(24) ( एक ) कांडला एसईजेड अथॉरिटी, अहमदाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ( हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

( दो ) कांडला एसईजेड अथॉरिटी, अहमदाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ( हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण )।

(25) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण ( हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण )।

(26) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उप-धारा (3) के अंतर्गत चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2018 जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संका०आ० 4028 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति ( हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण )।

## 6. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० शशि थरूर ने 'डोकलाम, सीमा पर स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग सहित चीन-भारत संबंध' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2017-18) का 22वां प्रतिवेदन\* ( हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ) प्रस्तुत किया।

## 7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सूक्ष्म, लघु

---

\* प्रतिवेदन, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय लोक सभा अध्यक्ष को 4 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने नियम 280 के अधीन प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दी।

और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 284वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) (मांग संख्या 12) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 141वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

**\*\*अपराहन 12.04 बजे**

#### **8. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित**

*मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018*

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा पेश किये गये मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने के प्रस्ताव का विरोध किया गया।

डॉ॰ शशि थरूर ने विधेयक पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया और विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की।

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने डॉ॰ शशि थरूर द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

#### **9. अध्यादेश के बारे में विवरण — सभा पटल पर रखा गया**

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 7) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.14 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

---

**\*\* अपराहन 12.08 बजे से अपराहन 12.14 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।**

अपराहन 2.00 बजे

#### 10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के खेरवाड़ा तहसील मुख्यालय में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर ऐलिवेटेड पिलर्ड ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा देवघर, झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान के सर्वाई माधोपुर जिले के गांवों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के बारे में।
- (4) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के डाल्टेनगंज सर्किल में बीएसएनएल के दैनिक श्रमिकों की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चित्रकूट और बांदा जिलों में उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा देवी रुक्मणी की प्राचीन प्रतिमा को विदिशा के पुरातत्व संग्रहालय से दमयन्ती पुरातत्व संग्रहालय, जिला दमोह, मध्य प्रदेश में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया शहर में एक फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री अजय मिश्रा (टेनी) द्वारा एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया के लिए आयुर्वेदिक औषध के उत्पादन और विपणन के बारे में।
- (9) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार में आरा और भाभुआ रोड तथा डेहरी ऑन सोन और बंजारी के मध्य रेल लाइनों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपारों पर तीन ओवर ब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) श्री बिष्णु पद राय द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कार्यकारी शक्तियों वाली प्रदेश काउंसिल स्थापित किए जाने के बारे में।
- (12) श्री सी०पी० जोशी द्वारा उदयपुर से असम तथा उदयपुर से अमृतसर तक रेल सेवा एवं उदयपुर और कोटा के मध्य डेमू ट्रेन शुरू किए जाने के बारे में।
- (13) डॉ० किरीट सोमैया द्वारा 'जीवन सरल' नामक जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार के सुपौल और मधेपुरा जिलों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री थांगसो बाइटे द्वारा मणिपुर में सेंट्रल हिल यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) डॉ० जे० जयकुमार द्वारा तमिलनाडु के दक्षिण चेन्नै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पल्लिकरणै मार्श लैंड के परिरक्षण के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री पी०आर० सेनथिलनाथन द्वारा तमिलनाडु में आए चक्रवाती तूफान 'गज' के बारे में।
- (18) प्रो० सौगत राय द्वारा राफेल विमान खरीद के बारे में।
- (19) डॉ० (श्रीमती) ममताज़ संघमिता द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में डीवीसी पावर प्लांट बंद किए जाने के बारे में।
- (20) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा केन्दू (तेन्दू) पत्तों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा जेनरिक दवाइयों के लिए पृथक रंग कोड और चिन्ह निर्धारित किए जाने के बारे में।
- (22) श्री एम० मुरली मोहन द्वारा आन्ध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में।
- (23) श्री बी० विनोद कुमार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को नेहरू युवा केन्द्र संगठन में जिला युवा समन्वयक पद पर नियुक्त किए जाने हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (24) श्री पी० करुणाकरन द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 के कथित दुरुपयोग के बारे में।
- (25) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा प्याज उत्पादकों की समस्याओं के बारे में।
- (26) श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह पटेल द्वारा फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे सड़क निर्माण के बारे में।
- (27) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा झारखंड में सरना धर्म कोड को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.01 बजे

#### 11. सरकारी विधेयक—पारित

*उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016*

लिया गया समय : 1 घंटा 06 मिनट

श्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ० शशि थरूर
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 2.36 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.01 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराहन 3.01 बजे

4. डॉ० (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार

श्री थावरचंद गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 3 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 और 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 13 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 14 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 17 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 18 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 19 स्वीकृत हुआ।

खंड 20 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 21 और 22 स्वीकृत हुआ।

खंड 23 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 24 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 1 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान बोले।



श्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 3.32 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव

महासचिव

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2018/27 अग्रहायण, 1940 (शक)

---

संख्या 310

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 101—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

## 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

## 3. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि तेलंगाना के पेड्डापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य, श्री बलका सुमन ने लोक सभा में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने 17 दिसम्बर, 2018 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.02 बजे

#### 4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
  - (एक) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय भर्ती नियम (अध्यापन कर्मचारी)-2016 जो 24 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० आरएलबीसीएयू/सीपी/47/2016 में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय भर्ती नियम (गैर-अध्यापन कर्मचारी)-2016 जो 24 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० आरएलबीसीएयू/सीपी/47/2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (i) (क) फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
  - (ख) फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ii) (क) नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
  - (ख) नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (iii) (क) मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
 (ख) मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (iv) (क) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
 (ख) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (v) (क) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
 (ख) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (vi) (क) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
 (ख) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (vii) (क) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।  
 (ख) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (viii) (क) हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (ख) हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ix) (क) फर्टीलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (ख) फर्टीलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (कैश ट्रांसपोर्टेशन क्रियाकलापों के लिए प्राइवेट सुरक्षा) नियम, 2018 जो 8 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांका० 755(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जारी नाशकजीवमार (प्रतिषेध) आदेश, 2018 जो 9 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 3951(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हैल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हैल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हैल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 124 के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2018 जो 15 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांका० 567(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2018, जो 17 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 3998(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2018, जो 5 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 5158(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) का०आ० 5280(अ) जो 15 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से सीड पोटेटो का उसमें पोटेटो सिस्ट निमाटोड होने के कारण भारत के अन्य सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में संचलन का प्रतिषेध किया गया है।
- (चार) का०आ० 5642(अ) जो 2 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से सीड पोटेटो का उसमें पोटेटो सिस्ट निमाटोड होने के कारण भारत के अन्य सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में संचलन का प्रतिषेध किया गया है।
- (9) (एक) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वायज एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वायज एकेडमी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) सोसाइटी ऑफ क्रिस्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सोसाइटी ऑफ क्रिस्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) श्री इंस्टीट्यूट फॉर मेन्टली हैण्डिकैप्ड, सामलकोट के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री इंस्टीट्यूट फॉर मेन्टली हैण्डिकैप्ड, सामलकोट के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) कचाजूली फिजिकली हैण्डिकैप्ड स्कूल एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) कचाजूली फिजिकली हैण्डिकैप्ड स्कूल एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, लखीमपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) शिशु सखा संघ, खोरडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) शिशु सखा संघ, खोरडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंजीनियरिंग ऑफिसर्स (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 जो 16 जून, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 168 में प्रकाशित हुए थे।



- (दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ग' इंजीनियरिंग ऑफिसर्स (कम्बेटाइज्ड पैरा मैडिकल पद) भर्ती नियम, 2018, जो 10 नवम्बर, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 364 में प्रकाशित हुए थे।
- (25) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) असम राइफल्स, वारंट आफिसर (पर्सनल असिस्टेंट), अनुसचिवीय, भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 23 जून, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 182 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) असम राइफल्स रेडियो मैकेनिक, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 23 जून, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 183 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) असम राइफल्स, ट्रेड्समैन (समूह 'ग' कम्बेटाइज्ड पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 23 जून, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 184 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) असम राइफल्स, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट (समूह 'ग' पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 23 जून, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 185 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) असम राइफल्स, वारंट आफिसर (जनरल ड्यूटी), समूह 'ग' कम्बेटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 23 जून, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 186 में प्रकाशित हुए थे।
- (26) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, रेडियो आपरेटर और रेडियो मैकेनिक (अराजपत्रित) काडर भर्ती नियम, 2018 जो 26 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1069(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरिंग सेट अप, ड्राफ्ट्समैन (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) कम्बैटइज्ड भर्ती (संशोधन) नियम, 2018, जो 11 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 861 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(27) तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, और सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

#### तेरहवीं लोक सभा

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. विवरण संख्या 38 | बारहवां सत्र, 2003 |
|--------------------|--------------------|

#### चौदहवीं लोक सभा

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 2. विवरण संख्या 31 | दूसरा सत्र, 2004     |
| 3. विवरण संख्या 37 | छठा सत्र, 2005       |
| 4. विवरण संख्या 30 | दसवां सत्र, 2007     |
| 5. विवरण संख्या 25 | ग्यारहवां सत्र, 2007 |

#### पंद्रहवीं लोक सभा

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 6. विवरण संख्या 29  | चौथा सत्र, 2010      |
| 7. विवरण संख्या 29  | पांचवां सत्र, 2010   |
| 8. विवरण संख्या 28  | छठा सत्र, 2010       |
| 9. विवरण संख्या 25  | सातवां सत्र, 2011    |
| 10. विवरण संख्या 27 | आठवां सत्र, 2011     |
| 11. विवरण संख्या 26 | नौवां सत्र, 2011     |
| 12. विवरण संख्या 25 | दसवां सत्र, 2012     |
| 13. विवरण संख्या 23 | ग्यारहवां सत्र, 2012 |
| 14. विवरण संख्या 22 | बारहवां सत्र, 2012   |
| 15. विवरण संख्या 21 | तेरहवां सत्र, 2013   |
| 16. विवरण संख्या 18 | चौदहवां सत्र, 2013   |

17. विवरण संख्या 17 पन्द्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

18. विवरण संख्या 16 दूसरा सत्र, 2014  
 19. विवरण संख्या 15 तीसरा सत्र, 2014  
 20. विवरण संख्या 14 चौथा सत्र, 2015  
 21. विवरण संख्या 12 पांचवां सत्र, 2015  
 22. विवरण संख्या 11 छठा सत्र, 2015  
 23. विवरण संख्या 9 सातवां सत्र, 2016  
 24. विवरण संख्या 9 आठवां सत्र, 2016  
 25. विवरण संख्या 8 नौवां सत्र, 2016  
 26. विवरण संख्या 6 दसवां सत्र, 2016  
 27. विवरण संख्या 6 ग्यारहवां सत्र, 2017  
 28. विवरण संख्या 4 बारहवां सत्र, 2017  
 29. विवरण संख्या 3 तेरहवां सत्र, 2017-18  
 30. विवरण संख्या 2 चौदहवां सत्र, 2018  
 31. विवरण संख्या 1 पन्द्रहवां सत्र, 2018

- (28) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (29) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, रायबरेली के वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (31) (एक) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2018 जो 17 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 885(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (22वां संशोधन) नियम, 2018 जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 898(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2018 जो 6 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 1090(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 20 नवम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या सांकाणि० 1132(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र।
- (दो) भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की शक्तियां और कर्तव्य) विनियम, 2018, जो 29 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० बीएस/11/10/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (35) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 39 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) अधिसूचना सं० एफ०सं० बीएस/11/05/2018 जो 12 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 14 जून, 2018 की अधिसूचना सं० बीएस/11/05/2018 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) अधिसूचना सं० एफ०सं० बीएस/11/04/2018 जो 12 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 7 जून, 2018 की अधिसूचना सं० बीएस/11/04/2018 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) अधिसूचना सं० एफ०सं० बीएस/11/11/2018 जो 12 अक्टूबर, 2018 के

भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 4 जून, 2018 की अधिसूचना सं० बीएस/11/11/2018 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

#### 5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोक लेखा समिति (2018-2019) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'स्मारकों और प्राचीन कलाकृतियों का परिरक्षण और संरक्षण' के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 118वां प्रतिवेदन।
- (2) 'भारतीय रेल में पुलों का अनुरक्षण' के बारे में समिति के 87वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 119वां प्रतिवेदन।
- (3) 'स्वापक पदार्थों का प्रबंधन' के बारे में समिति के 96वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 120वां प्रतिवेदन।
- (4) 'वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (केबीएफसी) का कार्यकरण तथा सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के शैक्षणिक कार्यकलाप' के बारे में समिति के 94वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 121वां प्रतिवेदन।
- (5) 'केन्द्रीय विद्यालय संगठन और गुजरात विद्यापीठ' विषय संबंधी 122वां प्रतिवेदन।
- (6) 'एपीईडीए द्वारा निष्प्रभावी निगरानी' विषय संबंधी 123वां प्रतिवेदन।

#### 6. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री भगत सिंह कोश्यारी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसीएल), रांची के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के बारे में श्री मधुबन यादव और अन्य से प्राप्त तथा श्री राम टहल चौधरी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन संबंधी सत्तावनवां प्रतिवेदन।

- (2) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में देश में उच्चतर शिक्षा की स्थिति के बारे में श्री सत्येन्द्र सिंह से प्राप्त तथा श्री विनोद सोनकर, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन संबंधी अट्ठावनवां प्रतिवेदन।
- (3) डिजिटल उद्यम की आड़ में बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुषंगी नैनीताल बैंक लिमिटेड की प्रस्तावित बिक्री के बारे में सुश्री निशा कामत और नैनीताल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन संबंधी उनसठवां प्रतिवेदन।
- (4) संविदा श्रमिकों की कार्य दशाओं को शासित करने वाले ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन के बारे में श्री सपन कुमार घोषाल से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में समिति (सोलहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी साठवां प्रतिवेदन।
- (5) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाए जाने के बारे में श्री प्रज्ञा प्रिया राहुल से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन में समिति (सोलहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी इकसठवां प्रतिवेदन।
- (6) एयर इंडिया की तुलना में एलाएंस एयर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कथित असमानता और उनकी सेवा की अन्य शर्तों में सुधार किए जाने के बारे में श्री अमित रॉय, महासचिव, एलाएंस एयर कर्मचारी संघ से प्राप्त तथा श्री जितेन्द्र चौधरी, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन पर याचिका समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में समिति (सोलहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बासठवां प्रतिवेदन।
- (7) 1965 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए स्व० मेजर मोहन सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किए जाने और उससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में ब्रिगेडियर एन्बी० सिंह (सेवानिवृत्त) से प्राप्त तथा श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले', संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन पर याचिका समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन में समिति (सोलहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तिरसठवां प्रतिवेदन।

## 7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत बी० खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2018-2019) का पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां, उनतीसवां, तीसवां प्रतिवेदन (की-गई-कार्यवाही) और इकत्तीसवां, बत्तीसवां तथा तैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

## 8. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० किरीट सोमैया ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'मजदूरी संहिता विधेयक, 2017' के बारे में तैतालीसवां प्रतिवेदन।
- (2) श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'टीवी/प्रसारण/डिजिटल मनोरंजन/विज्ञापन उद्योग के श्रमिकों की संख्या, सुरक्षा और कल्याण' के बारे में चौवालीसवां प्रतिवेदन।

## 9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) गृह मंत्रालय से संबंधित 'ओक्खी चक्रवात-मछुआरों पर इसका प्रभाव और इसके द्वारा हुई क्षति' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 211वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 201वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 206वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 209वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (4) गृह मंत्रालय से संबंधित 'भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 213वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'एकीकृत कोल्ड चैन योजना और मूल्यवर्धन अवसंरचनाओं के कार्यान्वयन' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग (डीएडीएफ), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभापटल पर रखा।

अपराह्न 12.10 बजे

#### 10. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

*राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2018*

#### 11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा चिकमंगलूर-सक्लेशपुर रेल लाइन का कार्य पूर्ण किए जाने के बारे में।
- (2) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद के जन्मदिन 3 दिसम्बर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के नर्मदा और भरुच जिलों में बीएसएनएल के मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी आदिवासियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में।
- (5) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गांवों के विद्युतीकरण के बारे में।



- (6) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीसीएल और बीसीसीएल द्वारा कोयले के ई-ऑक्शन के बारे में।
- (7) श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू-कश्मीर में रह रहे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के बच्चों को नौकरी और प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में प्राथमिकता दिए जाने के बारे में।
- (8) श्री निहाल चन्द द्वारा राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री ओम बिरला द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले ऋण की राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती विजया चक्रवर्ती द्वारा असम के मूल निवासियों की पहचान संबंधी समस्या के बारे में।
- (11) डॉ० सत्यपाल सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु कानून बनाने अथवा अध्यादेश लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदित्यपुर में एक और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा टीवी केबल सेवा की नई टैरिफ दरों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात में ढासा-जैतलसर नई रेल लाईन परियोजना के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री एस० पी० मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा कर्नाटक के टुमकुर में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किए जाने के बारे में।
- (17) श्री सी० गोपालकृष्णन द्वारा तमिलनाडु में केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, उटी को बंद किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री ए० अरुणमणिदेवन द्वारा तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समुद्री कटाव के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में।
- (19) डॉ० कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा के जगतसिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंदिरों के रख-रखाव के बारे में।

- (20) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के किसानों के कल्याण हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री एम० बी० राजेश द्वारा केरल के पट्टम्बी में इंटरसिटी रेलगाड़ी संख्या 16305/16306 का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दस साल पुराने ट्रैक्टरों पर से प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा सऊदी अरब के रियाद में हजारों की संख्या में फंसे भारतीय मजदूरों/श्रमिकों की वापसी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने के बारे में।
- (25) श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन द्वारा काल्लम बाईपास का कार्य पूरा किए जाने के बारे में।

अपराह्न 12.15 बजे

## 12. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बारे में निवेदन किया।

\*श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.18 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 19 दिसम्बर, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

---

\*संसदीय कार्य मंत्री

MGIPMRND—2600LS(S3)—18-12-2018.

# लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 19 दिसम्बर, 2018/28 अग्रहायण, 1940 (शक)

संख्या 311

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.11 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 122—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

## 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

## 3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नोटरी (संशोधन) नियम, 2018 जो 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 815(अ) में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंस्टीट्यूट बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजनरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एण्ड रिजनरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मीटीयोरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मीटीयोरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) ईएसएसओ-इंडियन नेशनल सेटर फॉर ओशियन इनफोर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईएसएसओ-इंडियन नेशनल सेटर फॉर ओशियन इनफोर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) ईएसएसओ - नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईएसएसओ - नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) इंडियन वेक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन वेक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत इम्युनोलोजिकल्स एण्ड बायोलोजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत इम्युनोलोजिकल्स एण्ड बायोलोजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (24) भारत इम्युनोलोजिकल्स एण्ड बायोलोजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।



- (26) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (28) (एक) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, एस्.ए.एस्. नगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, एस्.ए.एस्. नगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (32) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 जो 19 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-04/2017-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) दि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन केबल लैंडिंग स्टेशन्स एक्सेस फैंसिलिटेशन चार्जेज एण्ड को-लोकेशन चार्जेज (अमेंडमेंट) रेग्युलेशन्स, 2018 जो 28 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 416-2/2018-एनएसएल-1 में प्रकाशित हुए थे।
  - (तीन) बेसिक टेलिफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलिफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 7) जो 31 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 305-03/2018-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
  - (चार) दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (चौथा संशोधन) विनियमन, 2018 जो 18 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 324-5/2018-सीए में प्रकाशित हुए थे।
- (33) उपर्युक्त (32) की मद सं० (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) इंडक्टिव अनुप्रयोग के लिए बहुत कम शक्तिशाली रेडियो आवृत्ति उपकरणों या उपस्करों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2018 जो 5 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकां० 996(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) बहुत कम शक्तिशाली अल्ट्रा-वाइडबैंड उपकरणों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2018 जो 18 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकां० 1046(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) कम शक्तिशाली और बहुत कम शक्तिशाली अल्प दूरी रेडियो आवृत्ति उपकरणों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2018 जो 18 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकां० 1047(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) 5 गीगाहर्ट्ज बैंड में रेडियो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क सहित बेतार एक्सेस प्रणाली का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2018 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकां० 1048(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (36) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (ग्लोबल मेरिटाइम डिस्ट्रेस एण्ड सेफ्टी सिस्टम के प्रचालन के लिए वाणिज्यिक रेडियो ऑपरेटर का प्रवीणता प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति) संशोधन नियम, 2018 जो 5 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकां० 1088(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 6 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं० सांकां० 1179(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (37) (एक) रिसर्च एण्ड इन्फार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रिसर्च एण्ड इन्फार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) दादरा और नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दादरा और नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9(1)(ख) और परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 11(1)(ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० ओ०एन० 55(अ) जो 22 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में है और संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन आदेश, 2008 की अनुसूची III को अद्यतन करने के लिए है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- 4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**
- डॉ० एम० तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 45वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

## 5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोक लेखा समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) 'सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को आरंभ करने में विलंब, अनियमित एलटीसी दावे और किराए पर लिए गए सर्वरों पर परिहार्य व्यय' विषय संबंधी 124वां प्रतिवेदन।
- (2) 'दबावग्रस्त आस्तियां स्थिरीकरण निधि (एसएसएसफ)' विषय पर समिति के 78वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 125वां प्रतिवेदन।
- (3) 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' विषय पर समिति के 92वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 126वां प्रतिवेदन।
- (4) 'प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और अवसंरचना विकास' विषय संबंधी 127वां प्रतिवेदन।
- (5) 'सरकारी निजी भागीदारी-इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली का कार्यान्वयन' विषय पर समिति के 94वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 128वां प्रतिवेदन।
- (6) 'वस्त्र निर्यात संप्रवर्तन परिषद' विषय संबंधी 129वां प्रतिवेदन।
- (7) 'हाइड्रोकार्बन उत्पादन हिस्सेदारी संबंधी संविदाएं' विषय पर समिति के 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 130वां प्रतिवेदन।
- (8) 'मोबाइल नाइट्रोजन गैस जनरेटर प्लांट की परिहार्य खरीद, सामग्री की निरर्थक खरीद, एकीकृत एयरोस्टेट निगरानी प्रणाली का विकास और वाहन परीक्षण ग्राउंड के निर्माण पर अनियमित व्यय' विषय संबंधी 131वां प्रतिवेदन।

## 6. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के विवरण

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'सरकारी क्षेत्र के बैंकों में महिलाओं की कार्य दशाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान

करने संबंधी समिति (2015-2016) के 7वें प्रतिवेदन के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

- (2) 'स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2016-17) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2017-18) के 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

#### 7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार): प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति के 207वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 61वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—
- रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना, नौ सेना और वायु सेना की अनुदानों की मांगों (2017-18) (मांग सं० 20) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
  - रक्षा मंत्रालय से संबंधित आयुध निर्माणियों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन और राष्ट्रीय कैंडेट कोर के महानिदेशालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) (मांग सं० 20) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (iii) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर अव्यपगतनीय पूंजी निधि खाता का सृजन' विषय पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

%अपराहन 12.07 बजे

#### 8. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और मोहम्मद सलीम ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बारे में निवेदन किया।

\*श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उत्तर दिया।

\$श्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तर दिया।

( व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.17 बजे स्थगित हुई और  
अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

#### 9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों के नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गन्ना किसानों की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा राजस्थान और अन्य राज्यों में 'विलायती बबूल' अथवा 'प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा' को जड़ सहित समाप्त करने का आदेश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री जनक राम द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मीरगंज, हथुआ चीनी मिल को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर जिले में जनार ग्राम से पिपराहीढाला तक वाया डुब्बा घाट (देकुली) में बागमती नदी के दाएं तटबंध के साथ-साथ एक सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

%अपराहन 12.07 बजे से अपराहन 12.17 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

\*संसदीय कार्य मंत्री।

#गृह मंत्री।

- (5) श्री कीर्ति झा आजाद द्वारा बिहार में दरभंगा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर रेल सेवाओं और यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में एक योग आधारित प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश में महोबा-उरई नई रेल लाईन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री रमेन डेका द्वारा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कालपी नगर में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्विस रोड और फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ॰ उदित राज द्वारा देश में विभिन्न विमानपत्तनों का निजीकरण किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रेलवे पुल की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कुट्टानड क्षेत्र में आई अभूतपूर्व बाढ़ से निपटने के लिए वित्तीय पैकेज दिए जाने के बारे में।
- (15) श्री विनसेंट एच॰ पाला द्वारा मेघालय में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाने के बारे में।
- (16) श्री सी॰ महेन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के पोलाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नालार और अन्नामलैअर में बांधों का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (17) श्रीमती के॰ मरगथम द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार और सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में।



- (18) डॉ० (श्रीमती) रत्ना डे नाग द्वारा देश में आवास की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्रीमती रीता तराई द्वारा ओडिशा के जाजपुर जिले में बीएसएनएल सेवाओं में सुधार किए जाने के बारे में।
- (20) श्री राजन विचारे द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मीरा भयंदर एवं नवी मुम्बई में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा केन्द्रीय विद्यालय में शिशु गृह की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री राजू शेट्टी द्वारा लिंगायत समाज को एक धर्म के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.01 बजे

#### 10. सरकारी विधेयक—पारित

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016

लिया गया समय : 1 घंटा 20 मिनट

श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ० (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. श्री निशिकान्त दुबे
4. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
5. डॉ० बूरा नरसैय्या गौड
6. डॉ० धर्म वीर गांधी
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
9. श्री एन्के प्रेमचन्द्रन

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 4 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 और 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18 से 23 स्वीकृत हुए।

खंड 24 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 25 स्वीकृत हुआ।

खंड 26 से 31 स्वीकृत हुए।

खंड 32 स्वीकृत हुआ।

खंड 33 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 34 स्वीकृत हुआ।

खंड 35 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 36 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 37 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 38 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 39 से 51 स्वीकृत हुए।

खंड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री जगत प्रकाश नड्ड ने विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 3.20 बजे

#### 11. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

*उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018*

आवंटित समय : 2 घंटा

लिया गया समय : 04 मिनट

शेष : 1 घंटा 56 मिनट

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, संसदीय कार्य मंत्री ने निवेदन किया है कि आज की पुनरीक्षित कार्य-सूची में क्रम संख्या 19 पर सूचीबद्ध उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार किया है।”

तदनुसार, श्री राम विलास पासवान ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई

अपराह्न 3.24 बजे

( व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 20 दिसम्बर, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव

महासचिव

# लोक सभा

समाचार—भाग 1  
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 20 दिसंबर, 2018/29 अग्रहायण, 1940 (शक)

संख्या 312

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 142-160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

## 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611-1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

## 3. सभा पटल पर रखे गये पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये:—

- (1) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (क) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) ऊर्जा संरक्षण (नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत सन्निधम और मानक, प्ररूप, समय जिसके भीतर, और योजना को तैयार करने तथा कार्यान्वयन की रीति, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य) संशोधन नियम, 2016 जो 31 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 373(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) ऊर्जा संरक्षण (नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा खपत की स्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप और रीति) संशोधन नियम, 2015 जो 19 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 891(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा खपत सन्निधम प्ररूप और मानक, समय जिसके भीतर, और योजना को तैयार करने तथा कार्यान्वयन की रीति, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य) संशोधन नियम, 2015 जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 528(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलैक्ट्रिक वाटर हीटर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2016 जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएंडएल/वाटर हीटर/3/2015-16 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हाउसहोल्ड डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2016 जो 26 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएंडएल/आरईएफ/70/2016-17 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रंगीन टेलिविजनों के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2016 जो 26 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएंडएल/सीटीवी/2/2016-17 में प्रकाशित हुए थे।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (चार) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (12) (एक) जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।



- (तीन) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 715(अ) जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मुगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
- (दो) सांकांनि 776(अ) जो 14 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
- (तीन) सांकांनि 777(अ) जो 14 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
- (चार) सांकांनि 778(अ) जो 14 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
- (पाँच) सांकांनि 835(अ) जो 5 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
- (छह) सांकांनि 849(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 15 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं० सांकांनि 687(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।
- (सात) सांकांनि 850(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।

- (आठ) सांका० 851(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
- (नौ) सांका० 852(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
- (दस) सांका० 970(अ) जो 4 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मुगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
- (ग्यारह) सांका० 971(अ) जो 4 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 6 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं० सांका० 77(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।
- (बारह) सांका० 1013(अ) जो 10 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
- (तेरह) सांका० 1077(अ) जो 30 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 30 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं० सांका० 715(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।
- (चौदह) सांका० 1100(अ) जो 13 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
- (पन्द्रह) सांका० 1101(अ) जो 13 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
- (सौलह) सांका० 1102(अ) जो 13 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।

- (15) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, आणंद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद, आणंद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) आरआईटीईएस लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) आरआईटीईएस लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) कोंकण रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोंकण रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ज) (एक) इंडियन रेलवे कंटेनरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेलवे कंटेनरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) मधेपुरा इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मधेपुरा इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (19) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे जनरल रूल्स, 2018 जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 765(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) रेलवे (ओपनिंग फॉर पब्लिक कैरेंज ऑफ पैसेंजर्स) संशोधन नियम, 2018 जो 1 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 945(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (20) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 जो 5 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1086(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो 26 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1136(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2018 जो 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 816(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (21) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 25 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 1067(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 और वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2014-2015 और वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) कॉटन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कॉटन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) नार्दन इंडिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नार्दन इंडिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) मैन्-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मैन्-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 की धारा 27 की उप-धारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अध्यादेश, 2017 जो 5 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 1205(1)/एनआईएफटी/ईएसटीटी/एचओ/ओर्डिनेंस/2017 में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० का०आ०4999(अ) जो 27 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन डॉ० शकुंतला देवी, मुख्य लेखा नियंत्रक, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को उनके वस्त्र मंत्रालय में मुख्य नियंत्रक बने रहने की अवधि या तीन वर्ष, जो भी इस अधिनियम की तारीख से पहले हो, के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) का०आ० 3991(अ) जो 16 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8बी (पोरबंदर से जैतपुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (दो) का०आ० 3992(अ) जो 16 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 5) (इच्छापुरम से नरसनपेटा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 3993(अ) जो 16 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 5) (दिवानचेरू से सिद्धान्तम खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चार) का०आ०3994(अ) जो 16 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 05 (पुडनतोला से इच्छापुरम खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 4259(अ) जो 07 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (सालासर-नागौर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।



- (छह) कांआ 4358(अ) जो 07 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (चित्तौड़गढ़-कोटा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सात) कांआ 4969(अ) जो 25 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (छपरा-रेवाघाट-मुजफ्फरपुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (आठ) कांआ 4970(अ) जो 25 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (गुलाबपुरा से उनियारा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (नौ) कांआ 5154(अ) जो 04 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 148) (मनोहरपुर-दौसा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (दस) कांआ 5155(अ) जो 04 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (फलोदी-जैसलमेर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (ग्यारह) कांआ 5156(अ) जो 04 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16.08.2018 की अधिसूचना संख्या कांआ 3991(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बारह) कांआ 5420(अ) जो 26 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 344) (उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा-यमुनानगर-साहा-पंचकुला खण्ड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क की दरों के उद्ग्रहण के बारे में है।
- (35) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा(3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 जो 25 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकां नि 920अ में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा(4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) का०आ० 558(अ) जो 09 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 05 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1248(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 1522(अ) जो 06 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 05 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1997(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का०आ० 1596(अ) जो 13 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अक्टूबर, 1996 की अधिसूचना संख्या का०आ० 728(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का०आ० 2022(अ) जो 22 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का०आ० 2210(अ) जो 01 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छह) का०आ० 2211(अ) जो 01 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसम्बर 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सात) का०आ० 3467(अ) जो 16 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अक्टूबर 1996 की अधिसूचना संख्या का०आ० 728(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (आठ) का०आ० 3881(अ) जो 06 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या का०आ० 3467(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नौ) केन्द्रीय मोटर यान (10वां संशोधन) नियम, 2018 जो 07 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 749(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दस) केन्द्रीय मोटर यान (11वां संशोधन) नियम, 2018 जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 870(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) केन्द्रीय मोटर यान (12वां संशोधन) नियम, 2018 जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 871(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) केन्द्रीय मोटर यान (13वां संशोधन) नियम, 2018 जो 27 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 931(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) केन्द्रीय मोटर यान (बांग्लादेश से त्रिपुरा में बॉटलिंग संयंत्र के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का विनियमन) नियम, 2018 जो 17 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1038(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) मोटर यान (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एंड एमर्जेंसी बटन) आदेश, 2018 जो 26 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 5453(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पन्द्रह) कांआ 5333(अ) 18 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित वाहनों के प्रकार जिनका उपयोग माल या यात्रियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए किया गया है या किया जाएगा, पर मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं किए जाने के बारे में है।
- (सोलह) कांआ 5454(अ) 26 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना संख्या कांआ 1663(अ) कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्रह) केन्द्रीय मोटर यान (40वां संशोधन) नियम, 2018 जो 02 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1081(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 19 दिसम्बर, 2018 की उद्घोषणा, जो 19 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 1223(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति के 19 दिसम्बर, 2018 के आदेश, जो 19 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 1224(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के 28 नवम्बर, 2018 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### 4. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री शांता कुमार ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) 'घाटे में चल रहे सीपीएसयू की समीक्षा' के बारे में 24वां प्रतिवेदन।
- (2) 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) लिमिटेड' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

#### 5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने 'केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन' के बारे में 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण सभा पटल पर रखा।

#### 6. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई

कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा मेकॉन लिमिटेड का भौतिक और वित्तीय कार्य-निष्पादन' के बारे में 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 43वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 38वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 44वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 39वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 45वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

#### 7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति (2016-17) के 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति (2016-17) के 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

- (3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति (2016-17) के 45वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।
- (4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) की 'सहायक उपस्करों/उपकरणों (एडीआईपी) की खरीद करने/लगाने के लिए निःशक्त व्यक्तियों के लिए सहायता की योजना का कार्यान्वयन' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति (2017-18) के 55वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।
- (5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति (2017-18) के 58वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।
- (6) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति (2016-17) के 46वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।
- (7) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'जनजातियों के लिए शैक्षणिक योजनाएं' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति (2017-18) के 56वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

- (8) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के 47वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।
- (9) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 60वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

#### 8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 303वें और 306वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (2) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय की 'नई रेलवे खानपान नीति 2017' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

#### 9. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किये:—

- (1) कि यह सभा 22 जुलाई, 2014 को सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के पैरा 3, जो अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति (2018-19) के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर लागू होते हैं, को निलंबित करती है।
- (2) कि यह सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2018-19) के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल को वर्तमान लोक सभा की अवधि के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।

- (3) कि यह सभा राज्य सभा को सूचित करती है कि अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2018-19) में लोक सभा के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल वर्तमान लोक सभा की अवधि के अंतिम दिवस तक बढ़ाया गया है और तदनुसार समिति में राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने पर सहमत है।

#### 10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें—2018-19

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2018-19 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें — दूसरा बैच दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

#### 11. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

*कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018*

\*अपराहन 12.09 बजे

#### 12. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 9) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.14 बजे स्थगित हुई और  
अपराहन 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराहन 2.01 बजे

#### 13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री सुधीर गुप्ता द्वारा मध्य प्रदेश के मंदसौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नीलगायों के बढ़ते आतंक के बारे में।
- (2) श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक सागर तालाब की सफाई और इसका सौंदर्यीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

\*अपराहन 12.10 बजे से अपराहन 12.14 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।



- (3) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में जल पुनर्भरण और संचयन प्रणाली को अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा हरियाणा में ऋण अदायगी में विफल रहने वाले किसानों को लज्जित किए जाने के बारे में।
- (5) श्री गोपाल शेटी द्वारा रेलवे स्टेशनों के आस-पास फेरी लगाने संबंधी कार्यकलापों को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा आयुष डॉक्टरों (होम्योपैथी) को इंटरनशिप के दौरान एमबीबीएस डॉक्टरों के बराबर वजीफा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा असंचारी रोगों के बढ़ते मामलों के बारे में।
- (8) श्री कौशल किशोर द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित एचएएल कोरवा में कार्यरत महिला कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में।
- (9) श्री राघव लखनपाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में सतना से हवाई सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा अंगूर किसानों एवं निर्यातकों को वर्ष 2010 में हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री आर० धुवनारायण द्वारा बाल विवाह को रोकने संबंधी प्रभावी नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में।
- (13) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निजीकरण के बारे में।
- (14) डॉ० थोकचोम मेन्या द्वारा मणिपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाए जाने के बारे में।
- (15) श्री आर०के० भारती मोहन द्वारा तमिलनाडु के मइलादुथुरई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे से संबंधित मुद्दों के बारे में।
- (16) श्री जे०जे०टी० नट्टर्जी द्वारा तमिलनाडु के कोवलपट्टी में माचिस निर्माण इकाइयों की समस्याओं के बारे में।

- (17) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा सेंट्रल मैरिन फिशिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का फिशरीज यूनिवर्सिटी में विलय किए जाने के बारे में।
- (18) श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा बिहार में स्वीकृत बरियारपुर-बांका रेल लाइन का निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.02 बजे

#### 14. सरकारी विधेयक—पारित

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018

लिया गया समय : 1 घंटा 12 मिनट

विधेयक पर और विचार किए जाने के लिए श्री रामविलास पासवान द्वारा 19 दिसम्बर, 2018 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री रामविलास पासवान ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
2. श्री तथागत सत्पथी
3. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
4. श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे
5. श्री राहुल शेवाले
6. श्री मोहम्मद ईंटी० बशीर
7. श्री पी०के० बिजू
8. श्री कौशलेन्द्र कुमार
9. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
10. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
11. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन

श्री रामविलास पासवान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6 से 14 स्वीकृत हुए।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 से 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18 से 20 स्वीकृत हुए।

खंड 21 से 31 स्वीकृत हुए।

खंड 32 से 71 स्वीकृत हुए।

खंड 72 से 87 स्वीकृत हुए।

खंड 88 से 99 स्वीकृत हुए।

खंड 100 से 107 स्वीकृत हुए।

खंड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री रामविलास पासवान द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराहन 3.11 बजे

#### 15. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“जैसा कि कई सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया है कि आज की पुनरीक्षित कार्य-सूची में सूचीबद्ध मद संख्या 22 और 23 पर 27 दिसम्बर, 2018 को विचार किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री को इस विलंबन पर कोई आपत्ति नहीं है। मैंने भी क्रम संख्या 26 की मद पर विचार करने के उनके अनुरोध को स्वीकार किया है।”

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 3.18 बजे

#### 16. सरकारी विधेयक—पारित

*राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018, राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय : 07 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री थावर चंद गहलोत द्वारा पेश किया गया।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले ने वाद-विवाद में भाग लिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम स्वीकृत हुआ।

श्री थावर चंद गहलोत ने, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.25 बजे

*(व्यवधान के कारण लोक सभा शुक्रवार 21 दिसम्बर, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव

महासचिव

# लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 21 दिसंबर, 2018/30 अग्रहायण, 1940 (शक)

संख्या 313

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.07 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 162—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

## 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

## 3. सभा पटल पर रखे गये पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध किए जाने की बाध्यता और प्रकटन अपेक्षाएं) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018 जो 6 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/30 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 जो 11 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/31 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और टेकओवर) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/33 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/36 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासक की नियुक्ति और निवेशकों को धन वापस किए जाने की प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/39 में प्रकाशित हुए थे।

- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्ध करना) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/42 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों और प्रतिभूति प्राप्तियों का निर्गम और सूचीबद्ध करना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/43 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमान शेयरों का निर्गम और सूचीबद्ध करना) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/44 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध किए जाने की बाध्यता और प्रकटन अपेक्षाएं) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 जो 16 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/47 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनः क्रय) विनियम, 2018 जो 11 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2018/32 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) विनियम, 2018 जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2018/40 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक शुल्क) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 23 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/45 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साम्या शेयरों को सूची से बाहर करना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 14 नवम्बर, 2018 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/46 में प्रकाशित हुए थे।

- (4) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्चेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2018/41 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2018 जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 1008(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2018 जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 1009(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि 738(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) कांआ 6033(अ) जो 4 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उक्त अधिनियमों के अधीन विभिन्न शहरों में अभिहित विशेष न्यायालयों के बारे में है।
  - (तीन) कांआ 3997(अ) जो 16 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उक्त अधिनियमों के अधीन अपराधों के विचारण के लिए अभिहित विशेष न्यायालयों के बारे में है।



- (7) (एक) इश्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इश्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) 30.06.2018 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों में आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) 30.06.2018 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों में आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के बारे में समापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) 30.09.2018 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों में आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) 30.09.2018 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों में आईआईबीआई का स्वैच्छिक परिसमापन), कोलकाता के बारे में समापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (9) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2017-18 के 48वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं० सांका० 940(अ) जो 28 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय प्रत्येक इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा अन्तरा-संघ राज्यक्षेत्र (जहां विधानपरिषद नहीं है) आपूर्तियों के लिए संग्रहीत किए जाने वाले, स्रोत पर कर संग्रहण की दर को अधिसूचित करना है, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (11) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांका० 1004(अ) जो 8 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्रों (जहां विधानपरिषद नहीं है) में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के गठन को अधिसूचित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांका० 1005(अ) जो 8 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्रों (जहां विधानपरिषद नहीं है) में अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकरण के गठन को अधिसूचित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं० सांका० 941(अ) जो 28 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय प्रत्येक इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा अन्तर-संघ राज्यक्षेत्रों (जहां विधानपरिषद नहीं है) के बीच करदेय आपूर्तियों के लिए संग्रहीत किए जाने वाले, स्रोत पर कर संग्रहण की दर को अधिसूचित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (13) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन शोधन निवारण (अभिलेख रखना) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना

सं० सा०का०नि० 1078(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) सा०का०नि० 1154(अ) जो 30 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मई, 2000 की अधिसूचना सं० 57/2000-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 918(अ) जो 24 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं० 52/2003-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 740(अ) जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 50/2017-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 753(अ) जो 7 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 50/2017-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 789(अ) जो 21 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी माल को केरल राज्य में हाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए दान के आशय से भारत में आयात किए जाने पर छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 860(अ) जो दिनांक 11 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवंबर, 1995 की अधिसूचना सं० 158/95-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात ) सांकांनि 882(अ) जो दिनांक 14 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ ) सांकांनि 889(अ) जो दिनांक 17 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 50/2017-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ ) सांकांनि 943(अ) जो दिनांक 28 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं० 25/2002-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस ) सांकांनि 944(अ) जो दिनांक 28 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 50/2017-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह ) सांकांनि 1080(अ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 50/2017-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह ) सांकांनि 926(अ) जो दिनांक 26 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह ) सांकांनि 892(अ) जो दिनांक 18 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं० 24/2015-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (15) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक ) सांकांनि 1019(अ) जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 11/2017-के०शु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

( दो ) सा०का०नि० 994(अ) जो दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 11/2017-के०शु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (16) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत अधिसूचना सं० सा०का०नि० 906 (अ) जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (17) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं० सा०का०नि० 907(अ) जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 9/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (18) सा०का०नि० 908(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 20 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में एक स्पष्टी कारक ज्ञापन के साथ प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं० 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7(4) के अंतर्गत कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (19) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचना सं० सा०का०नि० 917 (अ) जो दिनांक 24 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में के साथ प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 सितंबर, 2017 की अधिसूचना सं० 89/2017-सी०शु (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (20) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1156(अ) जो 30 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

थी तथा जिसका आशय भारतीय तार अधिनियम, 1855 की धारा 3 की उपधारा 7 में यथापरिभाषित “स्थानीय प्राधिकरणों” द्वारा “राइट ऑफ वे” को 1.7.2012 से 30.6.2017 तक की अवधि के लिए देने के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं पर, केन्द्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 174 (2)(ड) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत संदेय सेवा कर में, उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के अंतर्गत छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(21) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सांकांनि 1166(अ) जो 4 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “अनकोटेड कॉपियर पेपर” के आयात पर अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सांकांनि 732(अ) जो 2 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित अधिकारी द्वारा आरंभ की गई समीक्षा के अनुसरण में यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “मिथाइलीन क्लोराइड” के विनिर्दिष्ट दरों पर आयात पर दिनांक 21.05.2014 की अधिसूचना सं० 24/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को 20 अक्टूबर, 2019 तक जिसमें 20 अक्टूबर, 2019 की तारीख शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सांकांनि 786(अ) जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित अधिकारी द्वारा आरंभ की गई समीक्षा के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “पैरासीटामोल” के विनिर्दिष्ट दरों पर आयात पर दिनांक 28.10.2013 की अधिसूचना सं० 26/2013 (एडीडी) द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को 26 अप्रैल, 2019 तक जिसमें 26 अप्रैल, 2019 की तारीख शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सांकांनि 787(अ) जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी शुद्धिपत्र के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “ओफ्लोक्सासीन” के आयात पर दिनांक 15.03.2018 की अधिसूचना सं० 8/2018 (एडीडी) में संशोधन करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि 810(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स नटोर जूट मिल्स (उत्पादक), बांग्लादेश और मैसर्स पीएनपी जूट ट्रेडिंग एलएलसी (निर्यातक/ट्रेडर), यूएसए द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं० 1/2017-सी०शु० (एडीडी) के माध्यम से पहले से अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुति के अध्यधीन प्रतिपाटन शुल्क और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए न्यू शीपर रिव्यू का परिणाम आने तक बांग्लादेश से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित जूट उत्पादकों अर्थात् जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हेसेन फैब्रिक तथा “जूट सैकिंग बैगों” के भारत में आयात पर सभी आयातों का अनन्तिम मूल्यांकन विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनि 811(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक), बांग्लादेश द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं० 1/2017-सी०शु० (एडीडी) के माध्यम से पहले से अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुति के अध्यधीन प्रतिपाटन शुल्क और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए न्यू शीपर रिव्यू का परिणाम आने तक बांग्लादेश से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित जूट उत्पादकों अर्थात् जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हेसेन फैब्रिक तथा “जूट सैकिंग बैगों” के भारत में आयात पर सभी आयातों का अनन्तिम मूल्यांकन विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनि 845(अ) जो 6 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित जांच की सिफारिशों के आधार पर थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर के चौप्ड स्ट्रैंड्स मैट्स के 31 अगस्त, 2021 तक



के आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ (डम्पड वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा इंज्युरी के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, (अर्थात् सरकमर्वेशन के निर्धारण) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क के अंतर्गत निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (आठ) सांकांनि 846(अ) जो 6 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 फरवरी, 2015 की अधिसूचना सं० 04/2015-सी०शु० (एडीडी) के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सभी व्यास के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स' पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी नहीं रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनि 876(अ) जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फ्लैट बेस स्टील विल्स के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण को आगे एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकांनि 877(अ) जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फ्लैट बेस स्टील विल्स के आयात से संबंधित सनसेट समीक्षा जांच में जारी 09.8.2018 की अधिसूचना सं० 7/1/2018-डीजीएडी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में विशिष्ट दरों पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फ्लैट बेस स्टील विल्स के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकांनि 883(अ) जो 14 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 24 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं० 10/2017-सी०शु०, (एडीडी) जिसके परिणामस्वरूप चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 1, 1, 1, 2-टेट्राफ्लोरोईथेन या आर-134ए के आयातों के लिए अनंतिम मूल्यांकन का आदेश दिया गया था, को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। अब 24 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं० 10/2017/सी०शु०, (एडीडी) के अंतर्गत अनंतिम

आधार पर किए गए सभी मूल्यांकनों को 11 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं० 30/2016/सी०शु, (एडीडी) के अनुसार 1.22 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम की दर पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

- (बारह) सा०का०नि० 923(अ) जो 25 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सेचुरेटिड फैटी एल्कोहल्स' के आयात से संबंधित 25 मई, 2018 की अधिसूचना सं० 28/2018/सी०शु, (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा०का०नि० 924(अ) जो 25 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी संशोधन के अनुसरण में ईरान, कतर और चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'लिनियर एल्काइल बेंजीन' के आयात से संबंधित 11 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं० 12/2017-सी०शु (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा०का०नि० 998(अ) जो 5 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वियतनाम और यूरोपीय संघ से 'नाइलन फिलामेंट यार्न' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (जब तक पूर्व में प्रतिसंहृत, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो)।
- (पन्द्रह) सा०का०नि० 1012(अ) जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डकटाइल आयरन पाइप के आयातों पर 10 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं० 23/2013-सी०शु (एडीडी) के माध्यम से अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण का विस्तार 9 अप्रैल, 2019 तक और इसमें यह तिथि भी शामिल है, करने के लिए 10 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं० 23/2013-सी०शु (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा०का०नि० 1033(अ) जो 15 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया जनवादी गणराज्य, ताईवान

और इजराइल से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फथालिक एनहाईड्राइड के आयातों से संबंधित सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में 24 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं० 58/2012-सी०शु० (एडीडी) [जिसे 21 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं० 56/2017 सी०शु०, (एडीडी) के माध्यम से 23 दिसम्बर, 2018 तक जिसमें यह तिथि भी शामिल है, आगे बढ़ाया गया था], को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 1044(अ) जो 18 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से '70 लिया काउंट से कम फ्लैक्स यार्न' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (जब तक पूर्व में प्रतिसंहत, अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया गया हो)।

(अठारह) सा०का०नि० 1045(अ) जो 18 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित जांच की सिफारिशों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एवं भारत में आयातित "स्ट्रेट लैंथ बार्स और रोडवस आफ एलॉय स्टील" के आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ (डम्पड वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा इंज्युरी के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के अंतर्गत (18.10.2018 के प्रभाव से) 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा०का०नि० 1118(अ) जो 15 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 मार्च, 2018 की अधिसूचना सं० 6/2018-सी०शु० (एडीडी) के माध्यम से चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "ओ-एसिड" के आयात पर विद्यमान प्रतिपाटन शुल्क को चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "ओफ्लोक्सासिन ईस्टर" या "9, 10-डाईफलोरो-मिथाईल-7-ओक्सो-2, 3-डाइहाइड्रो-7 एच-पाइरिडो (1, 2, 3-डी) 1.4 बेजोक्साजिन-6-कार्बोक्सी लिक ईस्टर" के आयातों तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (22) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (1) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद तथा इलाहाबाद, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून स्थित ऋण वसूली अधिकरण भर्ती नियम, 2018 जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 535(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (2) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चैन्नई तथा एर्णाकुलम, चेन्नई, मदुराई, कोयम्बटूर और बैंगलुरु स्थित ऋण वसूली अधिकरण भर्ती नियम, 2018 जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 536(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (3) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर स्थित ऋण वसूली अधिकरण भर्ती नियम, 2018 जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 537(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (4) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता तथा हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक स्थित ऋण वसूली अधिकरण भर्ती नियम, 2018 जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 538(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (5) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुंबई तथा औरंगाबाद, मुंबई, इलाहाबाद, पुणे और नागपुर स्थित ऋण वसूली अधिकरण भर्ती नियम, 2018 जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 539(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (23) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 31क की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (ड) (चार) के अंतर्गत “वित्तीय संस्था” के रूप में पहले अधिसूचित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नाम में परिवर्तन और उन्हें रद्द किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 के अंतर्गत कारपोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो

20 अप्रैल, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी:आईआर:2469:2017-18 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (25) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 31 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 4176(अ) जो 27 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 31क के साथ पठित उपधारा 2(1)(ड)(चार) के अधीन 46 एनबीएफसी को 'वित्तीय संस्थाओं' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 38 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2018 जो 18 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1040(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
(दो) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
(तीन) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (एल्कोहलीय पेय) विनियम, 2018 जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० 2/एस-24/2009(I)/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) नौवां संशोधन विनियम, 2018 जो 03 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० मानक/सीपीएल एंड सीपी/मसोदा अधिसूचना(03)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक)आठवां संशोधन विनियम, 2018 जो 23 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० मानक/एसपी(जल एवं पेय) अधिसूचना(03)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक)पांचवां संशोधन विनियम, 2018 जो 13 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० मानक/एससीएसएस एंड एच/अधिसूचना (03)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक)सातवां संशोधन विनियम, 2018 जो 23 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० मानक/एसपी(एससीएसएसएस)/आइसलॉलीज अधिसूचना/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक)दसवां संशोधन विनियम, 2018 जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० 1/अतिरिक्त योजक/मानक/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

- (सात) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय का प्रतिषेध और निर्बन्धन) पहला संशोधन विनियम, 2018 जो 03 अगस्त 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(8)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) चौथा संशोधन विनियम, 2018 जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० 1-110(3)एसपी(जैविक खतरे)/एफएसएसएआई-2010 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (भर्ती और नियुक्ति) विनियम, 2018 जो 03 अक्टूबर 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० 12/01/2010-प्रशासन/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पादक मानक और खाद्य योजक) छठा संशोधन विनियम, 2018 जो 07 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० मानक/सीपीएल एंड सीपी/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा लेखापरीक्षा) विनियम, 2018 जो 29 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० टीपीए/01/आरईजी/एफएसएसएआई- 2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य का फोर्टिफिकेशन) विनियम, 2018 जो 03 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० 11/03/आरईजी/फोर्टिफिकेशन/2014 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त तत्व और अवशिष्ट) पहला संशोधन विनियम, 2018 जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० 1-100/एसपीपीएआर-अधिसूचना-सीटीआर/एफएसएसएआई/2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं की मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० 11/202/ एलएबीआरईसी/क्यूए/एफएसएसएआई/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त तत्व और अवशिष्ट) दूसरा संशोधन विनियम, 2018 जो 23 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 1-100/ एसपीपीएआर-अधिसूचना/ईएनएफ/ एफएसएसआई/2014 में प्रकाशित हुए थे।

- (31) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-तंत्र विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० का०आ० 5726(अ) जो 14 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-तंत्र विज्ञान संस्थान, बंगलौर की संस्था निकाय का गठन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 की धारा 124 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० का०आ० 6032(अ) जो 4 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उप-धारा (5) के अंतर्गत स्टेट इंजीनियरिंग एंड सर्विसिंग कम्पनी ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (एसईएससीओटी) तथा तमिलनाडु स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (टीएनएसआई) आमेलन आदेश, 2018 जो 03 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 3839(अ) प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—



(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, (प्रवर समिति के निबन्धन और नामों का पैनल चयन करने की रीति) संशोधन नियम, 2018 जो 6 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 840(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, (संयोजनों से संबंधित कारबार के संव्यवहार के बारे में प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2018 जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सीसीआई/सीडी/संशो/संयारेग/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(36) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 67 की उप-धारा (2) के अंतर्गत मसौदा अधिसूचना सं० एफ सं० 17/30/2018-सीएल-V जिसमें यह निदेश दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90,164,165,167, धारा 206 की उपधारा (5), धारा 207 की उप-धारा 3, 252 और धारा 439 के उपबंध, जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, के सिवाय उसमें निर्दिष्ट आशोधनों के साथ सीमित दायित्व भागीदारी पर लागू होंगे।

#### 4. वित्तीय समितियां (2017-18)—एक समीक्षा

महासचिव ने 'वित्तीय समितियां (2017-18)—एक समीक्षा' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

#### 5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोक लेखा समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) 'माल और सेवाओं की खरीद में अनियमितताएं', 'अस्तित्वहीन फर्मों को कार्य देना', 'वसूल न किए गए वैट की वापसी' तथा 'विभागीय प्रभारों का अधिक भुगतान' संबंधी 132वां प्रतिवेदन।
- (2) 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के लिए तैयारी' विषय संबंधी 133वां प्रतिवेदन।
- (3) 'प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' विषय संबंधी 134वां प्रतिवेदन।
- (4) 'दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अर्जन और विकास' विषय संबंधी 135वां प्रतिवेदन।

## 6. कृषि संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री मुकेश राजपूत ने सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) के 'चारा और दाना विकास संबंधी उप-मिशन के माध्यम से चारे की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को दूर करने के लिए उठाए गए कदम' विषय पर 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' पर 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन।
- (3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत किसानों को प्रदान किए जा रहे कृषि उपकरणों और उपस्करों की लागत और गुणवत्ता में भिन्नता तथा किसानों के समक्ष आयातित पावर टिलर्स के कारण समस्याएं-एक समीक्षा' पर 51वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 57वां प्रतिवेदन।
- (4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' पर 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

## 7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

कुमारी अर्पिता घोष ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'एयरलाइंस की सुविधाओं में उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुसार सुधार करने संबंधी मुद्दे' के बारे में 256वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 268वां प्रतिवेदन।
- (2) 'महापत्तनों पर कार्गो की उठाई-धराई' विषय संबंधी 269वां प्रतिवेदन।

- (3) 'जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का विकास' विषय संबंधी 270वां प्रतिवेदन।
- (4) 'संस्कृति मंत्रालय द्वारा अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अनुदान, पेंशन और योजनाएं' विषय संबंधी 271वां प्रतिवेदन।

#### 8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.50 बजे

#### 9. लोक सभा की बैठकों को रद्द किया जाना

संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया कि उन्हें क्रिसमस के अवसर पर सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018 और बुधवार, 26 दिसम्बर, 2018 को नियत बैठकों को रद्द करने हेतु कई सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तदुपरांत, अध्यक्ष ने सभा की राय ली।

सभा सहमत हुई।

\*अपराह्न 12.13 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार 27 दिसम्बर, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

---

\*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.13 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

गुरुवार, 27 दिसंबर, 2018/6 पौष, 1940 (शक)

---

संख्या 314

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. प्रश्न

(i) तारांकित प्रश्न संख्या 221 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 222—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(ii) चूंकि सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018 और बुधवार, 26 दिसम्बर, 2018 के लिए निर्धारित लोक सभा की बैठकें रद्द की गई थीं, इसीलिए क्रमशः 24.12.2018 और 26.12.2018 के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न सं० 181—200 और 201—220 को भी अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 और 2301—2530 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

## 2. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदया ने सभा को सूचित किया कि निम्नलिखित सदस्यों ने लोक सभा में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है:

1. श्री मनोहर उटवाल (देवास, मध्य प्रदेश);
2. श्री नागेन्द्र सिंह (खजुराहो, मध्य प्रदेश);
3. श्री रघु शर्मा (अजमेर, राजस्थान);
4. श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग, छत्तीसगढ़);
5. श्री हरीश चंद्र मीणा (दौसा, राजस्थान)।

## 3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2017-2018 (खंड I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बुदूर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बुदूर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) आरईसी लिमिटेड (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
  - (दो) आरईसी लिमिटेड (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ख) (एक) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ग) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड और उसकी अनुषंगियां, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) एनटीपीसी लिमिटेड और उसकी अनुषंगियां, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा मितव्ययी और दक्ष अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली की आयोजना, समन्वय और विकास तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2018 जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/220/2017/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन समाधान तंत्र और संबंधित मामले) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 जो 26 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/132/2013/-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) (एक) कार्डसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कार्डसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) नेशनल रुरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल रुरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) नेशनल एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।



- (14) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) जवाहर लाल नेहरू एलुमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहर लाल नेहरू एलुमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मर्कैनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मर्कैनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (18) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड, ऊटकमंड के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड, ऊटकमंड का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (छ) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंसल्टेशन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंसल्टेशन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ञ) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 से 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ठ) (एक) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) उपर्युक्त (19) की मद (ज) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) वूल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) सिंथैटिक एंड रेयान टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथैटिक एंड रेयान टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (33) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (1) नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

#### 4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कार्य मंत्रणा समिति का 58वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

#### 5. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

प्रो० चिंतामणि मालवीय ने खान मंत्रालय से संबंधित 'जिला खनिज फाउंडेशन तथा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 47वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

#### 6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखा—

- (i) दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (ii) डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) (मांग सं० 99) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 303वें और 306वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखा।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री; और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 259वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

## 7. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने गुरु गोविन्द सिंह जी के दो पुत्रों की शहादत के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री भगवंत मान
2. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
3. श्रीमती रंजीन रंजन
4. डॉ० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी

श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री निशिकान्त दुबे, श्री देवजी एम. पटेल, श्री गोपाल चिनय्या शेटी, श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया, श्री अजेय (टेनी) मिश्रा, श्री अरविंद गणपत सावंत, डॉ० श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री राहुल शेवाले, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री शरद त्रिपाठी, श्री गणेश सिंह और श्री सुभाष चंद्रा बहेडिया, सहयोजित हुए।

%श्री एस०एस० अहलुवालिया भी बोले।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने सभी की ओर से टिप्पणी# की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

## 8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

---

%इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री।

#मूल हिन्दी में। ब्यौरों के लिए कृपया इस दिन का वाद-विवाद देखें।



- (1) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा जनजातियों हेतु कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री ओम बिरला द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कृषि उत्पाद की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ० किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई स्थित मध्य रेलवे के अंतर्गत लोकल ट्रेनों की क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा छट पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री राहुल कस्वां द्वारा मंजूर किए जा चुके सिरसा-चुरू, नाथूसरी-उदयपुरवाटी और डूंगरगढ़-लोहानी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा खिजडिया-अमरेली-चलाला-धारी-विसावदार रेलमार्ग के आमामान परिवर्तन हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा बुंदेलखण्ड क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के विकास कार्यों के मनरेगा रोजगार कार्ड धारकों को लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) कुँवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (9) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के ढाना हवाई पट्टी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री कीर्ति आजाद द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार में बिहटा-औरंगाबाद रेलमार्ग परियोजना के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के पलामू जिले में एक लाह प्रसंस्करण इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा खजुराहो और पुरी के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (14) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक रेल कोच रिपेयर कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा सबरीमाला मंदिर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में।
- (16) श्री राजीव सातव द्वारा नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों से विद्यालय विकास निधि के लिए ली जा रही धनराशि में हुई वृद्धि की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में यात्री रेलगाड़ियों के यात्रियों की समस्याओं के बारे में।
- (18) श्री टी० राधाकृष्णन द्वारा तमिलनाडु में पटाखा उद्योग की समस्याओं के बारे में।
- (19) श्री एस० आर० विजय कुमार द्वारा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नामकरण एमजीआर रेलवे स्टेशन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा राष्ट्रीय आपदाओं का सामना करने हेतु व्यापक योजना तैयार किए जाने के बारे में।
- (21) प्रो० सौगत राय द्वारा छह विमान पत्तनों का निजीकरण किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह द्वारा ओडिशा में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु मेट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति के वित्त पोषण संबंधी तरीकों को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्री अरविंद सावंत द्वारा देश के सभी विद्यालयों में समान शुल्क संरचना, ड्रेस कोड एवं पाठ्यक्रम लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री जैदेव गल्ला द्वारा 'पेथाई' चक्रवात से प्रभावित आंध्र प्रदेश के किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्री ए० पी० जितेन्द्र रेड्डी द्वारा पीड़ित बच्चों को अनुकूल न्यायिक माहौल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।
- (26) श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा नदी के तट पर विद्युत शवदाह गृह स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (27) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के पुनरुद्धार किए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

### 9. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने समिति को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 संयुक्त प्रवर समिति को सौंपे जाने के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. डॉ० पी० वेणुगोपाल
3. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
4. श्री असादुद्दीन ओवैसी

श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री भगवंत मान, श्री धर्मेन्द्र यादव, एडवोकेट जोएस जार्ज, श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन, श्री पी० करुणाकरन और श्री जय प्रकाश नारायण यादव सहयोजित हुए।

@श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उत्तर दिया।

अपराह्न 2.09 बजे

### #10. सांविधिक संकल्प — अस्वीकृत

लिया गया समय: 4 घंटे 58 मिनट

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19 सितम्बर, 2018 को प्रख्यापित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।”

चर्चा के पश्चात् संकल्प पर मतदान हुआ और अस्वीकृत हुआ।

### #11. सरकारी विधेयक — पारित

*मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018*

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

---

@ संसदीय कार्य मंत्री।

# चर्चा एक साथ की गई।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. कुमारी सुष्मिता देव
2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
3. श्री ए० अनवर राजा
4. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
5. श्री मुख्तार अब्बास नकवी
6. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
7. श्री जैदेव गल्ला
8. श्री अरविंद गणपत सावंत
9. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी
10. श्री मोहम्मद सलीम
11. श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी
12. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
13. श्री धर्मेन्द्र यादव
14. श्रीमती रंजीत रंजन
15. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
16. डॉ० धर्मवीर गांधी
17. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
18. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
19. श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर
20. श्री असादुद्दीन ओवैसी

श्री रवि शंकर प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन बोले (अपने सांविधिक संकल्प के उत्तर के रूप में)।

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम रहा: पक्ष में #238, विपक्ष में #12।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

---

#शुद्धि के अध्यक्षीन।

श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 2 में संशोधन के लिए पेश किए गए संशोधन सं० 9 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम रहा: पक्ष में #15, विपक्ष में #236। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 3 में संशोधन के लिए पेश किए गए संशोधन सं० 10 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम रहा: पक्ष में #9, विपक्ष में #235। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में संशोधन के लिए पेश किए गए संशोधन सं० 2 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम रहा: पक्ष में #14, विपक्ष में #243। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 4 में संशोधन के लिए पेश किए गए संशोधन सं० 11 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम रहा: पक्ष में #13, विपक्ष में #246। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 4 में संशोधन के लिए पेश किए गए संशोधन सं० 16 और 18 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम रहा: पक्ष में #10, विपक्ष में #245। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुए।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 5 में संशोधन के लिए पेश किए गए संशोधन सं० 12 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम रहा: पक्ष में #11, विपक्ष में #248। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 6 में संशोधन के लिए पेश किए गए संशोधन सं० 4 से 6 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम रहा: पक्ष में #12, विपक्ष में #244। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खंड 6 में संशोधन के लिए पेश किए गए संशोधन सं० 13 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम रहा : पक्ष में #12, विपक्ष में #248 । तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 और 8 स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ ।

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया ।

प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम रहा : पक्ष में #245, विपक्ष में #11 ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ ।

सायं 7.07 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

# लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 28 दिसंबर, 2018/7 पौष, 1940 (शक)

संख्या 315

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 और 242 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.21 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 243—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

## 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

## 3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38क के अंतर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पेट शॉप) नियम, 2018, जो 6 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 844(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 28 नवम्बर, 2018 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1141(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (7) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं० का०आ० 5799(अ), जो 19 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का०आ० 814(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।



- (8) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018, जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (लेखाकरण प्रक्रिया) नियम, 2018, जो 20 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1133(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० का०आ० 5120 (अ), जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण के संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बेंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बेंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, जो 13 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सेबी/ एलएडी- एनआरओ/जीएन/2018/29 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2018, जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 4825(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (17) सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) किसान विकास पत्र (संशोधन नियम), 2018 जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 955(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सांकांनि 956(अ), जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत में राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचित किया गया है कि 1 अक्टूबर, 2018 को या उसके पश्चात् लोक भविष्य निधि में किए गए अभिदायों तथा उपभोक्ता के खाते में जमा शेष राशि पर प्रतिवर्ष 8.0 प्रतिशत की दर से ब्याज का वहन किया जाएगा।
- (तीन) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन नियम), 2018 जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 957(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) राष्ट्रीय बचत आवधिक निक्षेप (संशोधन) नियम, 2018 जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 958(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) राष्ट्रीय बचत आवर्ती निक्षेप (संशोधन) नियम, 2018 जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 959(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय लेखा) संशोधन नियम, 2017 जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 960(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2018 जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 962(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018 जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1003(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (18) वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 128 के अंतर्गत जारी वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2018, जो 6 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1091(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

- (19) सुकन्या समृद्धि लेखा नियम, 2016 के नियम 7 के उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० सांका०नि० 961(अ), जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 1 अक्टूबर, 2018 को या उसके पश्चात् निधि में किए गए अभिदायों तथा उपभोक्ता के खाते में जमा शेष राशि पर प्रतिवर्ष 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का वहन किया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 823(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा कार्यालय या संपर्क कार्यालय या परियोजना कार्यालय या कारोबार के किसी अन्य स्थान की स्थापना) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 31 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 827(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 1093(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (21) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2018, जो 19 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 1128(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
  - (दो) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2018, जो 30 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 4213(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
  - (तीन) आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2018, जो 23 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका०नि० 1054(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) आयकर (विवाद समाधान तालिका) (पहला संशोधन) नियम, 2018, जो 23 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1055(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2018, जो 25 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1068(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2018, जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 5194(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) कांआ 5608(अ), जो 1 नवम्बर 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पीएमएलए की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकार का अधिनिर्णयन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उल्लिखित अपीलीय अधिकरण, न्यायनिर्णयन प्राधिकार अपीलीय अधिकार के कृत्यों का निर्वहन करेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2018, जो 31 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 5602(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) कांआ 5323(अ), जो 16 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदबिहित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) कांआ 5675(अ), जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के द्वारा प्रदत्त अधिकारिता शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए नई दिल्ली में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) कांआ 5676(अ), जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केन्द्रीय सरकार के विनिर्देशन के बारे में है कि बेनामी

संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की नई दिल्ली खंडपीठ, उस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर अधिकारिता का प्रयोग करेगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) कांआ 5677(अ), जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नई दिल्ली में अपीलीय अधिकरण की स्थापना किए जाने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2018 जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 785(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा लोकपाल नियम, 2017 जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 413(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(23) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 2018, जो 19 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1129(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(24) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सांकांनि 742(अ), जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाता जिन्हें अनंतिम पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं लेकिन जो प्रवास प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाये हैं, को प्रवास प्रक्रिया पूरी करने के लिए विशेष प्रक्रिया विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सांकांनि 743(अ), जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.09.2019 तक सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(4) के अंतर्गत कर के संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सांकायिक 759(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकायिक 760(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 तिमाही रूप से प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकायिक 761(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकायिक 792(अ) जो 21 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकायिक 801(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 और अगस्त, 2018 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकायिक 802(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 और अगस्त, 2018 के लिए कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकायिक 803(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक की तिमाही का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है,

द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 831(अ) प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा०का०नि० 832(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा०का०नि० 833(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-3ख, जीएसटीआर-4 और प्रपत्र जीएसटीआर-6 में करदाताओं के विशिष्ट वर्गों को विलंब शुल्क चुकाने से माफी देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा०का०नि० 834(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-01 में करदाताओं के विशिष्ट वर्गों के लिए घोषणा करने की समय-सीमा को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा०का०नि० 854(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटीआर-1 आईटीसी-01 में करदाताओं, जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक था, को छूट देने की देय तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पन्द्रह) सा०का०नि० 855(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय करदाताओं के लिए जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रुपये तक है, को देय तिथि को प्रपत्र जीएसटीआर-1 दाखिल करने की देय तिथि विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा०का०नि० 856(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नए माइग्रेटेड (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं० 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख दाखिल करने की तिथि का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।



- (सत्रह) सांकांनि 857(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नए माइग्रेटेड (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं० 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख दाखिल करने की देय तिथि का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सांकांनि 858(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हाल में प्रवास किए (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं० 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने के लिए नियत तारीख का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2018 जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकांनि 859(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2018 जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकांनि 867(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सांकांनि 868(अ) जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम (टीडीएस से संबंधित उपबंध) की धारा 51 को 01.10.2018 से प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाइस) सांकांनि 869(अ) जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम (टीडीएस से संबंधित उपबंध) की धारा 52 को 01.10.2018 से प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सांकांनि 900(अ) जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रत्येक इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर द्वारा राज्यों के बीच करादेय आपूर्तियों के लिए संग्रहीत किए जाने वाले स्रोत पर कर संग्रहण की दर को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चौबीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकां० 1007(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 9 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकां० 1011(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) सांकां० 1050(अ) जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी करदाताओं के लिए सितम्बर, 2018 के माह में प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की अंतिम तारीख को 25.10.2018 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्ताईस) सांकां० 1056(अ) जो 23 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं० 32/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अट्ठाईस) सांकां० 1057(अ) जो 23 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पोस्ट ऑडिट प्राधिकरणों को टीडीएस के अनुपालन से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतीस) सांकां० 1070(अ) जो 26 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय करदाताओं, जिनका रजिस्ट्रेशन 30 सितम्बर, 2018 को या उससे पूर्व रद्द किया गया है, को प्रपत्र जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न फाइल करने के लिए 31 दिसम्बर, 2018 तक का समय दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीस) सांकां० 1071(अ) जो 26 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 की अवधि के लिए प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (इकतीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 30 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1075(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बत्तीस) सा०का०नि० 1084(अ) जो 5 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तक आपूर्ति को टीडीएस से संबंधित उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तैंतीस) सा०का०नि० 1146(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले और तमिलनाडु के 11 जिलों में करदाताओं के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौत्तीस) सा०का०नि० 1147(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले और तमिलनाडु के 11 जिलों में करदाताओं के लिए 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कुल आवर्त के करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-1 को फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पैंतीस) सा०का०नि० 1148(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में करदाताओं के लिए, माह जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक की तिमाही के लिए कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक के कुल आवर्त के करदाताओं हेतु प्ररूप जीएसटीआर-1 फाइल करने की नियत तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छत्तीस) सा०का०नि० 1149(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में करदाताओं के लिए जुलाई से सितंबर, 2018 तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सैंतीस) सा०का०नि० 1150(अ) जो 29 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्टूबर, 2018 से दिसंबर, 2018 के महीनों के

लिए प्ररूप जीएसटीआर-7 में ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (25) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) सांकांनि 744(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(4) के अंतर्गत 30.09.2019 तक कर संदाय से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 901(अ) जो 20 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अंतर्राज्यीय करादेय आपूर्तियों के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा कर संग्रहण की दर अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 1052(अ) जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 14.09.2017 की अधिसूचना संं 8/2017-एकीकृत कर का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (26) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संं सांकांनि 745(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(4) के अंतर्गत 30.09.2019 तक कर संदाय में छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (27) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संं सांकांनि 1116(अ) जो 15 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिनियमों को अधिसूचित करना है, जिनके अंतर्गत माल और सेवा कर में विनिर्दिष्ट कर सम्मिलित किए जा रहे हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना संं सांकांनि 1180(अ) जो 06 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत में उत्पादित तथा निर्यातित माल पर वापसी की सभी औद्योगिक दरों को अधिसूचित किया गया है

तथा ये दरें निर्यातित माल के विनिर्माण में आदानों के रूप में प्रयुक्त, क्रमशः किसी आयातित सामग्रियों या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों पर प्रभारित, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रिबेट की संगणना के लिए औसत दरें हैं और यह अधिसूचना 19.12.2018 से प्रभावी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (29) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत भारत गणराज्य तथा सिंगापुर गणराज्य के बीच हुए व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अधीन माल के उद्गम का सीमा शुल्क अवधारण (संशोधन) नियम, 2018 जो 14 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 881(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (30) सा०का०नि० 1203(अ) जो 13 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कराई गई जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित “जियोलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड)”, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को अधिरोपित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (31) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (एक) सा०का०नि० 1212(अ) जो 15 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
  - (दो) सा०का०नि० 1214(अ) जो 17 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
  - (तीन) सा०का०नि० 3442(अ) जो 13 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) अधिसूचना संख्या 63/2018-सी॰शु॰(एन॰टी॰) 19 जुलाई, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) का॰आ॰ 3762(अ) जो 31 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) अधिसूचना संख्या 67/2018-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) 2 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) का॰आ॰ 3976(अ) जो 14 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) अधिसूचना संख्या 72/2018-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) 14 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) अधिसूचना संख्या 74/2018-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) 16 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) का॰आ॰ 4236(अ) जो 31 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (ग्यारह) अधिसूचना संख्या 77/2018-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) 6 सितम्बर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) का॰आ॰ 4869(अ) जो 14 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) अधिसूचना संख्या 80/2018-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) 19 सितम्बर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) अधिसूचना संख्या 81/2018-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) 20 सितम्बर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) अधिसूचना संख्या 83/2018-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) 28 सितम्बर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) का॰आ॰ 5014(अ) जो 28 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) अधिसूचना संख्या 85/2018-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) 4 अक्टूबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी

मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (अठारह) का०आ० 5312(अ) जो 15 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) अधिसूचना संख्या 87/2018-सी०शु० (एन०टी०) 18 अक्टूबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) का०आ० 5601(अ) जो 31 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) अधिसूचना संख्या 90/2018-सी०शु० (एन०टी०) 1 नवम्बर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) का०आ० 5743(अ) जो 15 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) अधिसूचना संख्या 93/2018-सी०शु० (एन०टी०) 15 नवंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।



- (चौबीस) कांकां 5880(अ) जो 30 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) अधिसूचना संख्या 96/2018-सी०शु०(एन०टी) 6 दिसंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) सांकां 1176(अ) जो 6 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी०शु०(एन०टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (32) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकां 1177(अ) जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) को निर्देश को हटाये जाने का उपबंध किया गया है क्योंकि जीएसटी के पश्चात् ये अधिनियम अस्तित्व में नहीं हैं; छूट और अन्य तकनीकी संशोधनों के रूप में प्राप्त किए गए उत्पाद शुल्क के संदाय पर, 30.06.2017 से पूर्व उत्पाद शुल्क के संदाय के बिना उपाप्त किए गए माल की निकासी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकां 1178(अ) जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के सुसंगत नियमों के अंतर्गत जीएसटीआईएन, विद्यमान एफटीपी उपबंधों तथा 31.03.2003 की अधिसूचना सं० 52/2003-सीमा शुल्क आदि को निर्देश के साथ एक संशोधित बी-17 (सामान्य प्रतिभूति/सुरक्षा) बंधपत्र अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (33) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (38) (एक) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तेरहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एसटीडीएस/एमएंडएमपी/अधिसूचना(02) एफएसएसआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एसटीडीएस/(03)/अधिसूचना (सीएफओआईएंडवाईसी)/एफएसएसआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) बारहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० एसटीडीएस/ओएंडएफ/अधिसूचना(07) एफएसएसआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 जो 20 नवंबर 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० 1-94/एफएसएसआई/एसपी(दावे और विज्ञापन)/2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पंद्रहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 27 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 1-116/वैज्ञानिक समिति (अधि.)/2010-एफएसएसआई में प्रकाशित हुए थे।
- (42) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) दि कंटीन्यूइंग डेंटल एजुकेशन रेग्यूलेशन्स 2018 जो 18 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० डीई-226-2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स (दूसरा संशोधन) रेग्यूलेशन्स 2018 जो 18 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० डीई-87(2)-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) दि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग टेस्ट (दूसरा संशोधन) रेग्यूलेशन्स 2018 जो 19 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० डीई-147/प्रकीर्ण-1/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (43) (एक) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) निम्नलिखित केंद्रों के संबंध में वर्ष 2017-2018 के लिए निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखेंगी—
- (1) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान), धारवाड़।
  - (2) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सांख्यिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय), पटना।
  - (3) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सामान्य और प्रकार्यात्मक भूगोल विभाग, डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय), सागर।
  - (4) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (आंध्र विश्वविद्यालय), विशाखापत्तनम।
- (49) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कार्जसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 27 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 104/38/लेखा-एक/ इंट्रोडक्शन में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सा०का०नि० 1001(अ) जो 8 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 490(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (50) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कार्जसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 8 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सा०का०नि० 5808(अ) जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1693(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (51) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कार्जसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो 28 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/69/2018 में प्रकाशित हुए थे तथा 26 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं० 1-सीए(5)/69क/2018 में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र।
- (दो) चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद का निर्वाचन) संशोधन नियम, 2018 जो 23 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) चार्टर्ड अकाउंटेंट (पेशेवर और अन्य कदाचार की जांच की प्रक्रिया तथा मामले का संचालन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो 29 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1072(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) सांकांनि 1155(अ) जो 30 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संसांकांनि 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (52) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 जो 5 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2018-19/जीएन/आरईजी032 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2018-19/जीएन/आरईजी033 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इन्फोर्मेशन यूटिलिटीज) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2018-19/जीएन/आरईजी034 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (मॉडल बाइ-लॉज एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2018-19/जीएन/आरईजी035 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनसोल्वेंसी प्रोफेशनल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2018-19/जीएन/आरईजी036 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (लिव्विडेशन प्रोसेस) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2018-19/जीएन/आरईजी037 में प्रकाशित हुए थे।

- (सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (विनियम जारी करने के लिए प्रक्रिया तंत्र) विनियम, 2018 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2018-19/जीएन/आरईजी038 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो 5 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1083(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (53) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2018 जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 708(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कंपनी (लेखे) संशोधन नियम, 2018 जो 31 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 725(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आवंटन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो 7 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 752(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) पांचवां संशोधन नियम, 2018 जो 23 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 798(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) कंपनी (रजिस्ट्रेशन कार्यालय और फीस) चौथा संशोधन नियम, 2018 जो 23 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 797(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आवंटन) तीसरा संशोधन नियम, 2018 जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 853(अ) में प्रकाशित हुए थे।



- (सात) कंपनी (प्रबंध कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2018 जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 875(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 903(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) छठा संशोधन नियम, 2018 जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 904(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) कंपनी (रजिस्ट्रेशन कार्यालय और फीस) पांचवां संशोधन नियम, 2018 जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 905(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) तीसरा संशोधन नियम, 2018 जो 26 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 925(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) चौथा संशोधन नियम, 2018 जो 13 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1108(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नियम, 2018 जो 14 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1111(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2018 जो 3 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1157(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (55) उपर्युक्त (54) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उपधारा (2) के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना सं 463(अ) के साथ पठित प्रारूप

अधिसूचना सं० एफ०सं० 07/19/2012-सीएल० 5(भाग 5) जो सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की तीन धाराओं अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (45), धारा 4 की उपधारा (1) का खंड (क) और धारा 188 की उपधारा (1) से छूट प्रदान करने/प्रतिस्थापन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का०आ० 4822(अ) जो 13 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 में संशोधन के बारे में है।

(दो) सा०का०नि० 1022(अ) जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 3 में संशोधन के बारे में है।

#### 4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 3 अगस्त, 2018 को हुई अपनी बैठक में श्री शरद यादव की 4-12-2017 से राज्य सभा की सदस्यता से निरहता और श्री नरेश अग्रवाल और श्री सी०पी० नारायणन की सभा से सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों के लिए लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा के तीन सदस्यों को निर्वाचित किए जाने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी सूचित किया:—

- (1) श्री आनंद शर्मा
- (2) श्री जावेद अली खान
- (3) श्री बशिष्ठ नारायण सिंह

#### 5. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अधीन अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा निदेशों का संशोधन

महासचिव ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों में संशोधन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

## 6. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने विशेषाधिकार समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

## 7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकान्त वी० खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2018-19) का 34वां (मूल प्रतिवेदन) 35वां, 36वां और 37वां (की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

## 8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ० शशि थरूर ने 'भारत-पाक संबंध' विषय के बारे में 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

## 9. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० किरीट सोमैया ने 'अनुसूचित/गैर-अनुसूचित/टेस्ट फ्लाइंग एअर ऑपरेटर्स/अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) कंपनियां/विमानपत्तन/विमानपत्तन प्रचालक—विशेष रूप से वायुयान की उड़ान से जुड़े उनके कर्मचारों/कर्मचारियों के संदर्भ में सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपाय' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 45वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

## 10. उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 287वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 291वां प्रतिवेदन।
- (2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 286वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 292वां प्रतिवेदन।

- (3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 293वां प्रतिवेदन।
- (4) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018 के बारे में 294वां प्रतिवेदन।

#### 11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० के० कामराज ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत नए एम्स (चरण-1) के कार्यक्रम के बारे में 111वां प्रतिवेदन।
- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 106वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 112वां प्रतिवेदन।
- (3) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 107वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 113वां प्रतिवेदन।
- (4) आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 108वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 114वां प्रतिवेदन।

#### 12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने डॉ० सी० गोपालकृष्णन और श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा 'नकली मुद्रा' के बारे में पूछे गए अतारंकित प्रश्न संख्या 571 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के 20.07.2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य रखा।
- (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और

प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 305वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य रखा।

### 13. कॉफी बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री सुरेश प्रभु की ओर से श्री सी० आर० चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

“कि कॉफी बोर्ड नियमावली, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उप धारा (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यक्षीन कॉफी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

### 14. रबड़ बोर्ड के लिए एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री सुरेश प्रभु की ओर से श्री सी० आर० चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

“कि रबड़ नियमावली, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ड़) के अनुसरण, में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यक्षीन श्री बी०एस० येदियुरप्पा जिन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

### 15. सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री सुरेश प्रभु की ओर से श्री सी०आर० चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

“कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम,

1972 की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्याधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#### 16. प्रस्ताव

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 27 दिसम्बर, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 58वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#### 17. सांविधिक संकल्प

(i) श्री अरुण जेटली ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा एतद्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसरण में, 26 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 67/2018-सीमाशुल्क [दिनांक 26 सितम्बर, 2018 का सांकायिक 927(अ)] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर मूलभूत सीमाशुल्क (बीसीडी) में वृद्धि करना है, का अनुमोदन करती है:—

| टैरिफ शीर्ष/उपशीर्ष/मद | विवरण                                                                                                                           | से  | तक  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 3922                   | बाथ, शावर बाथा, सिंक, वाश बेसिन, बिडेट, लेवोटेरी पैन, सीट और कवर, फल्लिंग सिस्टर्न तथा प्लास्टिक के ऐसे ही अन्य सैनेटरी उत्पाद। | 10% | 15% |
| 3923                   | उत्पादों की पैकिंग अथवा कनवेयेंस हेतु वस्तुएं, प्लास्टिक की, स्टापर, लिड, कैप तथा अन्य क्लोजर, प्लास्टिक के                     | 10% | 15% |

| टैरिफ शीर्ष/<br>उपशीर्ष/मद | विवरण                                                                                                                                                                                                                | से   | तक  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 3924                       | टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू वस्तुएं तथा हाईजिनिक अथवा टायलेट वस्तुएं, प्लास्टिक की                                                                                                                                | 10%  | 15% |
| 3926                       | प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं तथा शीर्षक 3901 से 3914 तक अन्य सामग्री की वस्तुएं ( प्लास्टिक की चूड़ियों, प्लास्टिक के बीड्स तथा फीडिंग बोतलें, टैरिफ मद 3926 90 91 तथा 3926 90 99 पर 15% बीसीडी लागेगा)                 | 10%  | 15% |
| 4011 10 10                 | रेडियल कार टायर                                                                                                                                                                                                      | 10%  | 15% |
| 6401                       | आउटर सोल के साथ वाटर प्रूफ फुटवियर तथा रबर अथवा प्लास्टिक के अपर्स, जिसके अपर्स न तो तलवे से चिपके हुए हों और न ही सिलाई, रिबर्टिंग, कील ठोकने, पेंच कसने, प्लगिंग अथवा सामान प्रक्रियाओं द्वारा असेम्बल किए गए हों। | 20%  | 25% |
| 6402                       | बाहरी तलवों वाले अन्य फुटवियर तथा रबर अथवा प्लास्टिक वाले अपर्स                                                                                                                                                      | 20%  | 25% |
| 6403                       | रबर, प्लास्टिक, चमड़ा अथवा कम्पोजिशन चमड़ा वाले बाहरी तलवों वाले फुटवियर तथा चमड़े के अपर्स।                                                                                                                         | 20%  | 25% |
| 6404                       | रबर, प्लास्टिक, चमड़ा अथवा कम्पोजिशन चमड़ा वाले बाहरी तलवों वाले फुटवियर तथा टैक्सटाइल सामग्री वाले अपर्स।                                                                                                           | 20%  | 25% |
| 6405                       | अन्य फुटवियर                                                                                                                                                                                                         | 20%  | 25% |
| 7113                       | कीमती धातु अथवा कीमती धातु द्वारा आवृत धातु से बने हुए आभूषण वस्तुएं अथवा चांदी की वस्तुएं तथा इनके टुकड़े।                                                                                                          | 15%  | 20% |
| 7114                       | स्वर्ण अथवा चांदी से बनी हुई वस्तुएं तथा कीमती धातु अथवा कीमती धातु द्वारा आवृत धातु से बने हुए आभूषण वस्तुएं अथवा इनके टुकड़े।                                                                                      | 15%  | 20% |
| 8414 30 00                 | रैफ्रीजरेटिंग उपकरणों में प्रयुक्त कंप्रेसर्स के प्रकार।                                                                                                                                                             | 7.5% | 10% |

| टैरिफ शीर्ष/<br>उपशीर्ष/मद | विवरण                                                                                                                       | से   | तक   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 8414 80 11                 | एयर कंडिशनिंग उपकरणों में प्रयुक्त गैस कंप्रेसर्स के प्रकार।                                                                | 7.5% | 10%  |
| 8415 10                    | किसी खिड़की, दीवार, छत अथवा फर्श पर लगाए जाने वाले, सेल्फ कंटेंट अथवा “स्पलिट-सिस्टम” वाले डिजाइन युक्त एयर कंडिशनिंग मशीन। | 10%  | 20%  |
| 8415 20                    | मोटर वाहनों में व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त एयर कंडिशनिंग मशीन का प्रकार।                                                    | 10%  | 20%  |
| 8415 81                    | कूलिंग अथवा हीट साइकल को रिवर्स करने वाले वाल्व (रिवर्सबल हीट पंप) तथा रैफ्रीजरेटिंग यूनिट युक्त एयर कंडिशनिंग मशीन।        | 10%  | 20%  |
| 8415 82                    | रैफ्रीजरेटिंग यूनिट युक्त अन्य एयर कंडिशनर।                                                                                 | 10%  | 20%  |
| 8415 83                    | अन्य एयर कंडिशनर, जिसमें रैफ्रीजरेटिंग यूनिट मौजूद नहीं है।                                                                 | 10%  | 20%  |
| 8418 10 90                 | कम्बाईड रैफ्रीजरेटर-फ्रीजर, अलग बाहरी दरवाजों के साथ।                                                                       | 10%  | 20%  |
| 8418 21 00                 | कंप्रेशन वाले घरेलू रैफ्रीजरेटर।                                                                                            | 10%  | 20%  |
| 8418 29 00                 | अन्य घरेलू रैफ्रीजरेटर।                                                                                                     | 10%  | 20%  |
| 8450 11 00                 | पूर्णता ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, जिसकी ड्राई लिनिन क्षमता 10 किग्रा से अधिक न हो।                                              | 10%  | 20%  |
| 8450 12 00                 | सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर युक्त अन्य वॉशिंग मशीन, जिसकी ड्राई लिनिन क्षमता 10 किग्रा से अधिक न हो।                               | 10%  | 20%  |
| 8450 19 00                 | अन्य वॉशिंग मशीन, जिसकी ड्राई लिनिन क्षमता 10 किग्रा से अधिक न हो।                                                          | 10%  | 20%” |



प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) श्री अरुण जेटली निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा एतद्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसरण में 11 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 74/2018-सीमाशुल्क [दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 का सांकायिक 1027(अ)] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर मूलभूत सीमाशुल्क (बीसीडी) में वृद्धि करना है, का अनुमोदन करती है:—

| टैरिफ शीर्ष/<br>उपशीर्ष/मद | विवरण                                                                                                                                                                                                | से  | तक   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 8517 61 00                 | बेस स्टेशन                                                                                                                                                                                           | 10% | 20%  |
| 8517 69 90                 | आवाज, तस्वीरों अथवा अन्य डेटा के ट्रांसमिशन अथवा रिसेप्शन हेतु अन्य अप्रेट्स, जिसमें किसी वायर्ड अथवा वायरलेस नेटवर्क (जैसे कि स्थानीय अथवा बृहद क्षेत्र नेटवर्क) में संचार हेतु अप्रेट्स शामिल हैं। | 10% | 20%” |

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#### 18. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

*जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018*

अपराहन 12.15 बजे

#### 19. सांविधिक संकल्प—स्वीकृत

श्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसम्बर, 2018 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।”

\*संकल्प स्वीकृत हुआ।

\*अपराहन 12.15 बजे।

**\*\*अपराहन 12.52 बजे**

निम्नलिखित सदस्य इस संकल्प पर बोले:—

1. डॉ० शशि थरूर
2. प्रो० सौगत राय
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. डॉ० पी० वेणुगोपाल
5. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
6. श्री जितेन्द्र सिंह
7. मोहम्मद सलीम
8. श्री मुलायम सिंह यादव
9. श्री अरविंद गणपत सावंत
10. श्री भगवंत मान
11. श्री जय प्रकाश नाराण यादव
12. श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन
13. डॉ० फारूख अब्दुल्ला

श्री राजनाथ सिंह ने सांविधिक संकल्प पर उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 2.22 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.33 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 3.33 बजे

## 20. प्रस्ताव—स्वीकृत

श्री रत्न लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

“कि यह सभा:—

- (1) 13 दिसम्बर, 2018 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 44वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यक्षीन सहमत हैं कि परिशिष्ट-एक में क्रम सं० 66 पर विधेयक वर्गीकरण ओर विधेयक के लिए समय के नियतन का लोप किया जाए।

---

**\*\*अपराहन 12.16 बजे से अपराहन 12.51 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।**

- (2) 19 दिसम्बर, 2018 को सभा में प्रस्तुत समिति के 45वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यक्षीन सहमत है कि संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित उसकी सिफारिशों के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया जाए।”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 3.34 बजे

## 21. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित

1. डॉ० काकोली घोष दस्तीदार, संसद सदस्य का अम्ल के हमलों का निवारण और अम्ल हमलों के पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक, 2018
2. श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 ( *नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन* )
3. श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का वैदिक शिक्षा (शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक, 2018
4. श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का गौ संरक्षण विधेयक, 2018
5. श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का अपराधों के साक्षियों और पीड़ितों का अनिवार्य संरक्षण विधेयक, 2018
6. डॉ० संजय जायसवाल, संसद सदस्य का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 ( *धारा 41 का संशोधन* )
7. डॉ० संजय जायसवाल, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 ( *धारा 358 का संशोधन* )
8. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का संपर्क-विच्छेद का अधिकार विधेयक, 2018
9. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का क्षयरोग (निवारण और उन्मूलन) विधेयक, 2018
10. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का लैंगिक संवेदीकरण (प्रशिक्षण एवं शिक्षा) विधेयक, 2018
11. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018 ( *धारा 2 का संशोधन आदि* )

12. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2018 ( धारा 66क का लोप)
13. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का सशस्त्र बल कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 ( धारा 45 का संशोधन, आदि)
14. डॉ० शशि थरूर, संसद सदस्य का आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 ( नई धारा 46क का अंतःस्थापन)
15. डॉ० शशि थरूर, संसद सदस्य का साहित्यिक स्वतंत्रता विधेयक, 2018
16. डॉ० शशि थरूर, संसद सदस्य का खेल (ऑनलाइन गेमिंग और कपट का निवारण) विधेयक, 2018
17. डॉ० शशि थरूर, संसद सदस्य का महिला लैंगिक, प्रजनन और ऋतुस्राव अधिकार विधेयक, 2018
18. श्री गोपाल चिनैय्या शेटी, संसद सदस्य का उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय (राजभाषा का प्रयोग) विधेयक, 2018
19. श्री गोपाल चिनैय्या शेटी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 ( अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)
20. एडवोकेट जोएस जॉर्ज, संसद सदस्य का अनन्नास बोर्ड विधेयक, 2018
21. एडवोकेट जोएस जॉर्ज, संसद सदस्य का कटहल बोर्ड विधेयक, 2018
22. एडवोकेट जोएस जॉर्ज, संसद सदस्य का कृषक (गारंटीकृत आय एवं कल्याण), विधेयक, 2018
23. एडवोकेट जोएस जॉर्ज, संसद सदस्य का मिर्च का उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2018
24. डॉ० धर्म वीर गांधी, संसद सदस्य का औद्योगिक नियोजन और पर्यावरणीय संरक्षण विधेयक, 2018
25. डॉ० धर्म वीर गांधी, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 ( धारा 171 का संशोधन, आदि)
26. श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य का भिक्षावृत्ति उत्सादन और भिखरियों का पुनर्वास विधेयक, 2018

27. श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य का महिला (कार्यस्थल में आरक्षण) विधेयक, 2018
28. श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य का निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विधेयक, 2018
29. श्री विनोद कुमार सोनकर, संसद सदस्य का मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2018 ( *नई धारा 207क का अन्तःस्थापन*)
30. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सेवा का नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2018
31. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2018 ( *धारा 3 का संशोधन, आदि*)
32. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का आशा कार्यकर्ता (सेवा और अन्य प्रसुविधाओं का नियमितीकरण) विधेयक, 2018
33. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 ( *अनुच्छेद 142 का संशोधन*)
34. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 ( *नई धारा 35क और 35ख का प्रतिस्थापन*)
35. श्री रवीन्द्र कुमार जेना, संसद सदस्य का नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2018
36. श्री रवीन्द्र कुमार जेना, संसद सदस्य का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 ( *धारा 160 का संशोधन अंतःस्थापन*)
37. श्री रवीन्द्र कुमार जेना, संसद सदस्य का स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2018 ( *नए अध्याय 3क का अंतःस्थापन*)
38. श्री रवीन्द्र कुमार जेना, संसद सदस्य का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2018
39. डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का भू-संपदा (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2018 ( *धारा 7 का संशोधन, आदि*)
40. डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018 ( *धारा 2 का संशोधन, आदि*)

41. डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी संसद सदस्य का भारतीय सुखाचार (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 7 का संशोधन, आदि)
42. डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी संसद सदस्य का खेलकूद का अधिकार विधेयक, 2018
43. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का राष्ट्र का गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018
44. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का शैक्षणिक संस्थानों में भारत की ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2018
45. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2018
46. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का आधिकारिक सरकारी बैठक और समारोह (मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध) विधेयक, 2018
47. श्री चन्द्रकांत खैरे, संसद सदस्य का छावनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अध्याय 4क का अंतःस्थापन)
48. श्री चन्द्रकांत खैरे, संसद सदस्य का भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक, 2018
49. श्री चन्द्रकांत खैरे, संसद सदस्य का महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर सांभाजी नगर करना विधेयक, 2018
50. श्री गजानन कीर्तिकर, संसद सदस्य का व्यथित विधवाएं और एकल महिलाएं (संरक्षण, पुनर्वासन और कल्याण) विधेयक, 2017
51. श्री गजानन कीर्तिकर, संसद सदस्य का गुमशुदा बालक/बालिका (शीघ्र खोज और पुनर्मिलन) विधेयक, 2017
52. श्री गजानन कीर्तिकर, संसद सदस्य का गौ-वध पर पाबंदी विधेयक, 2017
53. श्री गजानन कीर्तिकर, संसद सदस्य का जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक, 2017
54. श्री राजीव सातव, संसद सदस्य का सरल भाषा में विधि का प्रारूपण विधेयक, 2018
55. श्री राजीव सातव, संसद सदस्य का महिला (विकास और कल्याण) प्राधिकरण विधेयक, 2018

56. श्री राजीव सातव, संसद सदस्य का कृषि कर्मकार कल्याण निधि विधेयक, 2018
57. श्री राजीव सातव, संसद सदस्य का बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2018
58. श्री फगन सिंह कुलस्ते, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018  
( 8वीं अनुसूची का संशोधन)
59. श्री फगन सिंह कुलस्ते, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जातियां) और (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुसूचियों का संशोधन)
60. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का चिकित्सकों, चिकित्सा वृत्ति और चिकित्सा संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा निवारण विधेयक, 2018
61. श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य का महिला (सशक्तिकरण और कल्याण) विधेयक, 2018
62. श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य का शहरी क्षेत्र (साम्यापूर्ण विकास और विनियमन) विधेयक, 2018
63. श्री निहाल चंद चौहान, संसद सदस्य का राष्ट्रीय कृषि नीति आयोग विधेयक, 2018
64. श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य का जल (सुगमता और संरक्षण) विधेयक, 2018
65. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2018
66. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) विधेयक, 2018 ( धारा 56 का संशोधन, आदि)
67. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 ( धारा 135 का संशोधन)
68. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2018  
( धारा 2 का संशोधन)
69. श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का इलाहाबाद उच्च न्यायालय (महोबा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2018
70. श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018  
( अनुच्छेद 51क का संशोधन)

71. श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीय आध्यात्मिक और मानव सेवा दर्शन शिक्षा को अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2018
72. श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 309 का संशोधन)
73. श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य का युवाओं में आत्महत्या निवारण विधेयक, 2018
74. श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य का एकल उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक, 2018
75. श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य का जनसंख्या (स्थिरीकरण और नियोजन) विधेयक, 2018
76. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह, संसद सदस्य का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2018 (नई धारा 28क का अंतःस्थापन)
77. श्री निहाल चंद चौहान, संसद सदस्य का राष्ट्रीय खेलकूद विकास आयोग विधेयक, 2018
78. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह, संसद सदस्य का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 24क का अंतःस्थापन, आदि)
79. डॉ॰ संजीव बालियान, संसद सदस्य का जिम्मेदार अभिभावक विधेयक, 2018
80. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी, संसद सदस्य का सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोबीड्स के प्रयोग पर पाबंदी विधेयक, 2018
81. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी, संसद सदस्य का आभ्यासिक अपराधी विधियों को शून्य घोषित करना विधेयक, 2018
82. श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य का प्लास्टिक की पैकेजिंग (विनियमन) विधेयक, 2018
83. श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 31 का अंतःस्थापन)
84. श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 275क का अंतःस्थापन, आदि)
85. श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य का अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2018



86. श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदय का अनिवासी भारतीय (मतदान अधिकार और कल्याण) विधेयक, 2018
87. श्री निहाल चंद चौहान, संसद सदय का राष्ट्रीय कुपोषण नीति आयोग विधेयक, 2018
88. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी, संसद सदय का मानवाधिकार रक्षकों का संरक्षण विधेयक, 2018

अपराहन 4.17 बजे

## 22. उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

माननीय उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण अब मद संख्या 174, विपरीतलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 से संबंधित है और जिसे राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। इस संबंध में मुझे यह सूचित करना है कि इस सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2018 को उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018 पारित किया गया था।

नियम 112 के उपनियम (2) के अनुसार लोक सभा में लम्बित विधेयक को, सभा द्वारा सारवान रूप से समान विधेयक को पारित किए जाने की स्थिति में लम्बित विधेयकों की पंजी से हटा दिया जाएगा। राज्य सभा में पुरःस्थापित तथा पारित एवं लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया विधेयक, लम्बित विधेयक की श्रेणी में आता है। तथापि, उन मामलों में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, जहां लोक सभा में सभा पटल पर रखे जाने के बाद राज्य सभा से प्राप्त विधेयक, लोक सभा में विचाराधीन होता है। पहले भी लोक सभा में पुरःस्थापित एवं लम्बित गैर-सरकारी विधेयकों को लम्बित विधेयकों की पंजी से हटाया गया है, यदि उनका उद्देश्य सरकारी विधेयकों के पारित होने के परिणामस्वरूप पूरा हो गया हो।

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सभा द्वारा पारित और लोक सभा में चर्चाधीन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में क्या कार्रवाई की जाती है इसके बारे में कोई पूर्व उदाहरण विद्यमान नहीं है, यदि इसी विषय पर लोक सभा द्वारा सरकारी विधेयक पारित किया गया है।

चूंकि, इस विधेयक पर लोक सभा में आंशिक रूप से चर्चा की गई है, इस स्थिति में केवल लोक सभा द्वारा इस विधेयक पर अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए, मेरा यह विचार है कि हमें राज्य सभा द्वारा यथापारित

इस गैर-सरकारी विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं करना चाहिए। अतएव, यदि सभा सहमत है, तो इस विधेयक को लम्बित विधेयकों की पंजी से हटा दिया जाए क्योंकि समान विषय पर सरकारी विधेयक को पारित किए जाने के पश्चात् इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा चुका है।

*सभा सहमत हुई।*

*तदनुसार विधेयक पंजी से हटाया गया।*

अपराहन 4.25 बजे

### 23. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—वापस लिया गया

*संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015*

श्री विनसेंट एच० पाला द्वारा 5 अगस्त, 2016 को पेश किए गए विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पर चर्चा जारी

@ श्री किरन रिजीजू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री विन्सेंट एच० पाला अपने उत्तर के रूप में बोले।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

अपराहन 4.52 बजे

### 24. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—वापस लिया गया

*टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां (विनियमन) विधेयक, 2015*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भर्तृहरि महताब
2. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
3. श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

#कर्मल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल अपने उत्तर के रूप में बोले।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

सायं 6.05 बजे

## 25. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन

*भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम विधेयक, 2015*

श्री निशिकांत दुबे द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुई।

उनका भाषण पूरा नहीं हुआ।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.06 बजे

*(लोक सभा सोमवार, 31 दिसम्बर, 2018 के पूर्वार्ध 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

---

#युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

MGIPMRND—2925LS(S3)—28-12-2018.

# लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 31 दिसंबर, 2018/10 पौष, 1940 (शक)

संख्या 316

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने दसवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति और ग्यारहवीं से तेरहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

## 2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261, 263, 264 और 266 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न 262 और 265 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 262 और 265 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.51 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 267—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

### 3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

### 4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (एक) वर्ष 2013-2014 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।
  - (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
  - (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ख) (एक) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

- (दो) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) (एक) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) सोसाइटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सोसाइटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा उनका विस्तार करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/अर्थ/सीजीडी/प्रशा/2018/3 में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा उनका विस्तार करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) चौथा संशोधन विनियम, 2018 जो 26 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/अर्थ/सीजीडी/प्रशा/2018/4 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, ऑटो एलपीजी और सीएनजी का वितरण करने वाले रिटेल आउटलेट्स के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक तथा विनिर्देशन) विनियम, 2018 जो 26 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ/सं/इंफ्रा/टी4एस/एससी-6/4/18 में प्रकाशित हुए थे।
- (7) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की सामान्य शर्तें) संशोधन नियम, 2018 जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 330 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति) उपदान (संशोधन) नियम, 2018 जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1026(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (8) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (9) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 जो 16 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं/सांकांनि 235(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा

- (3) के अंतर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 जो 16 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 1125(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 जो 16 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 1126(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय अधिनियम, 1966 की धारा 62 की उपधारा (3) के अंतर्गत भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 828(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2018 जो 7 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि० 1182(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट, ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजरवेशन एण्ड म्यूजिलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट, ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजरवेशन एण्ड



म्यूजिलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) वृंदावन रिसर्च इंस्टिट्यूट, मथुरा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वृंदावन रिसर्च इंस्टिट्यूट, मथुरा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
  - (दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (25) (एक) खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
  - (तीन) खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुम्बई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे —
- (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, भोपाल।
  - (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, अहमदाबाद।
  - (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गोवा।
  - (चार) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, भुवनेश्वर।
  - (पाँच) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम।
  - (छह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, शिमला।

- (सात) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, हैदराबाद।
- (आठ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, शिलांग।
- (नौ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गुवाहाटी।
- (दस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, ग्वालियर।
- (ग्यारह) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, ग्वालियर।
- (बारह) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा।
- (तेरह) इंडियन कुलिनरी इंस्टिट्यूट तिरुपति और नोएडा।
- (चौदह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, हाजीपुर।
- (पंद्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन (कलकत्ता) सोसाइटी, कोलकाता।
- (सोलह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, जयपुर।
- (सत्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली।
- (अठारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, लखनऊ।
- (उन्नीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन (सोसाइटी), गुरुदासपुर।
- (बीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, मुम्बई।
- (इक्कीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बंगलौर।

- (बाईस) डॉ० अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, चंडीगढ़।
- (तेईस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, चेन्नई।
- (चौबीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, श्रीनगर।
- (27) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट), विशाखापत्तनम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट), विशाखापत्तनम का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ड) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) बिसरा स्टेन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बिसरा स्टेन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (28) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (29) (एक) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (33) (एक) इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेन्ट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेन्ट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (38) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।



- (43) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरैन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरैन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (46) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोल्लम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोल्लम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) टी बोर्ड इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (50) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2018 जो 9 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1094(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2018 जो 28 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 938(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, प्रबंध निदेशक भर्ती नियम, 2018 जो 6 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 841(अ) प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, सचिव भर्ती नियम, 2018 जो 6 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 842(अ) प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, कार्यपालक निदेशक भर्ती नियम, 2018 जो 6 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 843(अ) प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।
- (57) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 14 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय मानक ब्यूरो किचन एप्लायंसेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 जो 12 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ० 5243(अ) प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय मानक ब्यूरो उपयोग के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस वाले घरेलू जल ऊष्मक (क्वालिटी कंट्रोल) आदेश, 2018 जो 12 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ० 5244(अ) प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।

- (58) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2018 जो 21 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 909(अ) प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 27 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 1139(अ) प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।
- (59) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) कांआ 3867(अ) जो 4 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में यथानिर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी मंचों पर अधिक अप्राधिकृत तम्बाकू का क्रय करने के लिए व्यापारियों/व्यवहारियों को अनुमति देने हेतु तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।
  - (दो) कांआ 3868(अ) जो 4 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा तम्बाकू अधिनियम, 1975 की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल किया गया है।
- (60) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
  - (तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के लेखापरीक्षित लेखाओं संबंधी समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) (एक) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) (एक) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) नॉर्थ-ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ-ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) (एक) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।



- (तीन) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (78) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) (एक) डॉ० हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) डॉ० हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (82) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (84) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, श्रीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, श्रीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, श्रीनगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (86) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (87) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (निजी-सार्वजनिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5339(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5358(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5356(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5349(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5350(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5352(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5362(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5360(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5351(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5363(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (ग्यारह) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5357(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5354(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5355(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5361(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सेनापति के परिनियम, 2017 जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5353(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (88) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (रिकॉग्निशन एंड मॉनीटरिंग ऑफ एसेसमेंट एंड एक्रिटिडेशन एजेंसीज) विनियम, 2018 जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० 1-19/2017 (सीपीपी-दो) प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (खुला और दूरस्थ शिक्षण) तीसरा संशोधन विनियम, 2018 जो 6 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० 2-4/2018(डीईबी-एक) प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।
- (89) योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 29 की उपधारा (4) के अंतर्गत योजना और वास्तुकला विद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2018 जो 7 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1183(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (90) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम 2018 (कैरियर एडवांसमेंट स्कीम) (डिग्री/डिप्लोमा) जो 16 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में एमओओसीएस/2017-18 द्वारा अधिसूचना संख्या एफ०सं० 34-36/आरआईएफडी/एफडीपी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (91) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा अधिनियम, 1996 की धारा 44 के अंतर्गत महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2018 जो 26 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 006/एडमिन/एक(1)2014/7765 प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### 5. रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'सवारी-डिब्बों और स्टेशनों में साफ-सफाई और स्वच्छता' के बारे में 28वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) 'भारतीय रेल द्वारा दिव्यांगजनों को दी जा रही सुविधाएं' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) 'भारतीय रेल में मानव संसाधन विकास और जनशक्ति योजना' के बारे में 30वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

#### 6. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 46वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

- (2) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 45वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 53वां प्रतिवेदन।
- (3) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 48वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 54वां प्रतिवेदन।
- (4) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 55वां प्रतिवेदन।
- (5) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी)' के बारे में 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 56वां प्रतिवेदन।
- (6) पंचायती राज मंत्रालय के 'पंचायतों के कार्यकरण में सुधार' के बारे में 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

#### 7. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 302वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 307वां प्रतिवेदन।
- (2) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 304वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 308वां प्रतिवेदन।

#### 8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) संस्कृति मंत्रालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पर्यावरण वन एवं जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) पर समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 254वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) रखा।

- (2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री; और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) पर उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) रखा।
- (3) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्यमंत्री ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) पर श्री संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) रखा।
- (4) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री; और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्यमंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) रखा:—
  - (1) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) पर समिति के 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 297वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
  - (2) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) (मांग सं० 58) पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 302वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

%अपराहन 12.10 बजे

### 9. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने राफेल लड़ाकू जेट के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बारे में निवेदन किया।

\$श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 12.58 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.03 बजे

### 10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ॰ किरिट सोमैया द्वारा मुंबई में अवैध उड़ान/परीक्षण उड़ान दुर्घटना के बारे में।
- (3) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड की लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गौ-सदन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से मानिकपुर और खजुराहो के लिए अलग-अलग रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री जी०एम० सिद्देश्वर द्वारा कर्नाटक के दावनगेरे में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में।

---

%अपराहन 12.08 बजे से अपराहन 12.58 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

\$गृह मंत्री



- (7) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक कैसर अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा उत्तर गुजरात से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों में कोटा बढ़ाए जाने तथा विशेष डिब्बा लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के दुबरी संजय बाघ अभयारण्य के विकास हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भू-विस्थापितों को मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री बी०एन० चन्द्रप्पा द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले को पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में।
- (12) डॉ० शशि थरूर द्वारा राष्ट्रीय वाक और श्रव्य संस्थान का स्तरोन्नयन किए जाने के बारे में।
- (13) डॉ० करण सिंह यादव द्वारा निवेशकों को धनराशि वापस किए जाने के बारे में।
- (14) श्रीमती आर० वनरोजा द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में।
- (15) प्रो० सौगत राय द्वारा राफेल लड़ाकू विमान के खरीद के बारे में।
- (16) श्रीमती रीता तराई द्वारा ओडिशा विधान सभा और लोक सभा में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बारे में।
- (17) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया की आपूर्ति किए जाने के बारे में।
- (18) श्री बी० विनोद कुमार द्वारा शिक्षा क्षेत्र के लिए धनराशि दोगुनी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री पी०के० बिजू द्वारा पलानी से पलक्काडू तक एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर द्वारा केरल की भरतपूजा नदी को बचाए जाने की कार्य योजना के बारे में।
- (21) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के बांका जिले में एक अल्ट्रा मेगा विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद्, असम में लोगों के अधिकार के बारे में।

अपराहन 2.04 बजे

#### 11. अनुपूरक अनुदानों की मांगों के लिए—दूसरा बैच—2018-19

लिया गया समय: 2 घंटे 36 मिनट

2018-19 के लिए बजट से संबंधित अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या 1 से 5, 8, 9, 11, 13 से 18, 20, 23 से 36, 41, 42, 44, 46 से 48, 52 से 54, 56 से 61, 64 से 68, 70, 72 से 74, 78, 80 से 82, 84 और 87 से 99 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में हिस्सा लिया:—

1. श्री निशिकान्त दुबे
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. प्रो० सौगत राय
4. श्री मधुकरराव कुकडे
5. श्री पी० के० बिजू
6. श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
7. श्री धर्मेन्द्र यादव
8. श्री बी० विनोद कुमार
9. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
10. श्रीमती रेणुका बुत्ता
11. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
12. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
13. श्री दुष्यंत चौटाला

श्री अरुण जेटली ने उत्तर दिया।

वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें—दूसरा बैच के संबंध में अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1 से 5, 8, 9, 11, 13 से 18, 20, 23 से 36, 41, 42, 44, 46 से 48, 52 से 54, 56 से 61, 64 से 68, 70, 72 से 74, 78, 80 से 82, 84 और 87 से 99 की 2018-19

(राजस्व खाता और पूंजीकृत खाता दोनों) के बजट संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों 2018-19 की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराहन 4.35 बजे

#### 12. सरकारी विधेयक —पुरःस्थापित

*विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2018*

#### 13. सरकारी विधेयक —पारित

*विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2018*

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 04.41 बजे

#### #14. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 36 मिनट

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 सितम्बर, 2018 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।”

चर्चा के पश्चात् संकल्प पर मतदान कराया गया और वह अस्वीकृत हुआ।

#### #15. सरकारी विधेयक—पारित

*भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018*

श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन सांविधिक संकल्प पर बोले।

---

#एक साथ चर्चा की गई।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में हिस्सा लिया:—

1. डॉ० (श्रीमती) ममताज संघमिता
2. श्री राहुल शेवाले
3. डॉ० संजय जायसवाल
4. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
5. श्री पी० के० बिजू

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.17 बजे

#### 16. लोक सभा की बैठक का रद्द होना

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि नववर्ष के अवसर पर मंगलवार, 1 जनवरी, 2019 के लिए नियत सभा की बैठक रद्द की गई है।

अपराह्न 5.18 बजे

(लोक सभा बुधवार, 2 जनवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के समाचार—भाग 1, संख्या 315 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ 41, क्रम सं० 66 और 67 में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य के स्थान पर श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य पढ़ा जाए।

MGIPMRND—2967LS(S3)—31-12-2018.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

बुधवार, 2 जनवरी, 2019/12 पौष, 1940 (शक)

---

संख्या 317

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. प्रश्न

(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 301 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.17 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 302—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(दो) चूंकि मंगलवार 1 जनवरी, 2019 के लिए निर्धारित लोक सभा की बैठक रद्द हो गई थी इसलिए उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 281—300 को भी अतारांकित माना गया और उनके उत्तर भी अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

## 2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटिरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटिरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।



- (15) (एक) इंडियन अकादमी ऑफ साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन अकादमी ऑफ साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इंडियन नेशनल साइंस अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन नेशनल साइंस अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) (एक) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) रमण रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रमण रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (28) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2017-18 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2017-18 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (29) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) हरीश-चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष के 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरीश-चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष के 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष के 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एर्गोमिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (36) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (37) (एक) टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईटीआई लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (39) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत फ्लाइट एंड मेरिटाइम कनेक्टिविटी नियम, 2018 जो 14 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 1211(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई कार्यवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (एक) आधार (नामांकन और अद्यतनीकरण) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का संख्यांक 2) जो 31 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 13012/79/2017/लीगल-यूआईडीएआई (13) (2018 का संख्यांक 2) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 जो 20 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि 1135(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (43) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—
- (क) (एक) नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और उसकी समनुषंगी कंपनियां एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और उसकी समनुषंगी कंपनियां एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सिंगरेनी कोलीयरीज कंपनी लिमिटेड, खम्मन के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सिंगरेनी कोलीयरीज कंपनी लिमिटेड, खम्मन के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और उसकी समनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और उसकी समनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (44) (एक) लक्षद्वीप स्टेट वक्फ बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लक्षद्वीप स्टेट वक्फ बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) वक्फ बोर्ड अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (दो) वक्फ बोर्ड अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (48) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (49) नेशनल मीट एंड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (50) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) प्रतिवेदन संख्या 271-ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग-डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी के प्रयोग और विनियमन के लिए एक प्रारूप विधेयक-जुलाई, 2017
- (दो) प्रतिवेदन संख्या 272-भारत में अधिकरणों के सांविधिक ढांचे का आकलन-अक्टूबर, 2017



- (तीन) प्रतिवेदन संख्या 273-विधान के माध्यम से 'यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय और अवमानपूर्ण व्यवहार या दंड के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' का कार्यान्वयन-अक्टूबर, 2017
- (चार) प्रतिवेदन संख्या 274- न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की समीक्षा (अधिनियम की धारा 2 तक सीमित)-अप्रैल, 2018
- (पांच) प्रतिवेदन संख्या 275-विधायी ढांचा: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की तुलना में बीसीसीआई-अप्रैल, 2018
- (छह) प्रतिवेदन संख्या 276-विधायी ढांचा : भारत में क्रिकेट सहित अन्य खेलों में गैम्बलिंग और स्पोर्ट्स बेटिंग-जुलाई, 2018
- (51) (एक) इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कंडक्ट ऑफ इलेक्शन्स (संशोधन) नियम, 2018 जो 10 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 5196(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (क) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स, लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
    - (दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बैंगलुरु का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ख) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
    - (दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलुरु का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) बीईएल ऑप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएल ऑप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) बीईएल-थेल्स सिस्टम्स, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएल-थेल्स, सिस्टम्स, बैंगलुरु का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बैंगलुरु का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (54) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनेलिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनेलिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) (एक) जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ((हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटैनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

### 3. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० स्वामी साक्षीजी महाराज ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 'अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों/योजनाओं के लिए अधिक बजटीय आबंटन की आवश्यकता' के बारे में समिति के 10वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
- (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
- (3) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'एनटीपीसी लिमिटेड में नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

### 4. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

डॉ० स्वामी साक्षीजी महाराज ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित 'विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक/तकनीकी संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

## 5. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) दूरसंचार विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 55वां प्रतिवेदन।
- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 'केबल टीवी डिजिटइजेशन और सेट टॉप बॉक्स की इंटरओपरेबिलिटी' के बारे में समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 56वां प्रतिवेदन।
- (3) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 57वां प्रतिवेदन।
- (4) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'ग्रामीण बीपीओ का विस्तार और उनके समक्ष चुनौतियां' के बारे में समिति के 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 58वां प्रतिवेदन।

## 6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 51वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 48वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 52वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

- (4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'गीत और नाटक प्रभाग के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में समिति के 49वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 54वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

#### 7. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० शशि थरूर ने 'भावी उत्प्रवासियों के लिए समुचित विधायी ढांचे और कौशल विकास पहलों सहित प्रवासी कामगारों से संबंधित मुद्दे' विषय पर विदेशी मामलों संबंधी समिति (2018-19) का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

#### 8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण

श्री के० अशोक कुमार ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2018-19' विषय के बारे में 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर 48वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन पर अंतिम कार्यवाही विवरण।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'मालभाड़ा राजसहायता नीति' विषय के बारे में 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर 50वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन पर अंतिम कार्यवाही विवरण।

#### 9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

कुमारी सुष्मिता देव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में समिति के 309वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 317वां प्रतिवेदन।
- (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में समिति के 310वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 318वां प्रतिवेदन।
- (3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में समिति के 311वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 319वां प्रतिवेदन।

- (4) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में समिति के 312वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 320वां प्रतिवेदन।
- (5) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में समिति के 313वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 321वां प्रतिवेदन।
- (6) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में समिति के 314वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 322वां प्रतिवेदन।
- (7) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 323वां प्रतिवेदन।

#### 10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) विधि और न्याय मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 210वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (3) खान मंत्रालय में राज्य मंत्री; और कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (4) महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 12.09 बजे

#### 11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

*आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018*

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति के संबंध में पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध हुआ।

प्रो० सौगत राय, डॉ० शशि थरूर और श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन ने विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध किया तथा विधि और न्याय मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। विधि और न्याय मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित हुआ।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.21 बजे स्थगित हुई और  
अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराहन 2.00 बजे

#### 12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा भीलवाड़ा, राजस्थान में मेमू (एमईएमयू) कोच फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा विमान किराए में वृद्धि के बारे में।
- (3) श्री राजेश कुमार दिवाकर द्वारा राजा महेन्द्र प्रताप को भारत रत्न प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।



- (4) श्री निहाल चन्द्र चौहान द्वारा राजस्थान के गंगानगर संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाएं बढ़ाए जाने के बारे में।
- (5) श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखंड के खरीद केन्द्रों में किसानों द्वारा धान की निर्बाध बिक्री सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड में बंद खदानों को पुनः खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री ओम बिरला द्वारा किसानों को उनके खेतों में बाड़ लगाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ॰ उदित राज द्वारा दिल्ली में सिलिंग अभियान बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री हरिश्चन्द्र देवराम चव्हाण द्वारा प्याज उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री गोपाल चिनय्या शेटी द्वारा विकास कार्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में पड़ी अधिशेष निधि का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री अजय मिश्रा (टेनी) द्वारा देश में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए स्वीकृत संवर्ग की पुनः संरचना और कैरियर विकास के क्रियान्वयन की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में साक्षर भारत मिशन को रोक जाने के संबंध में।
- (13) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण के बारे में।
- (14) श्री एस० पी० मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को 8 लेन का बनाए जाने के बारे में।
- (15) श्री राजीव शंकरराव सातव द्वारा महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री आर० पी० मरुदराजा द्वारा तमिलनाडु के पेरामबलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एकीकृत पशु चिकित्सा पार्क की स्थापना किए जाने के बारे में।

- (17) श्री के० परसुरमन द्वारा गाजा चक्रवात के कारण हुई क्षति के लिए धनराशि जारी किए जाने के बारे में।
- (18) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा सियालदह-केनिंग लाइन पर चंदखली हॉल्ट स्टेशन के एक तरफ प्लेटफार्म निर्माण कार्य न पूरा किए जाने के बारे में।
- (19) डॉ० संघमिता ममताज़ द्वारा निर्धन प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा किए जाने के बारे में।
- (20) डॉ० कुलमणि सामल द्वारा पारादीप पत्तन न्यास बोर्ड में स्थानीय सांसद सदस्य और विधायक को शामिल किए जाने के बारे में।
- (21) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में महाराष्ट्र के धनगर समुदाय को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेगा फूड पार्क/खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा ऋण वितरण तंत्र को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) बेगम तबस्सुम हसन द्वारा आवारा पशुओं द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के बारे में।

अपराहन 2.04 बजे

### 13. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 2 घंटे 08 मिनट

अध्यक्ष महोदया ने सभा को सूचित किया कि श्री के०सी० वेणुगोपाल, जिन्हें राफेल सौदे से संबंधित मुद्दों पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा प्रारंभ करनी थी, ने उनसे अनुरोध किया था कि श्री राहुल गांधी को उनकी ओर से चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए और उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार किया।

तदनुसार श्री राहुल गांधी ने चर्चा आरंभ की।

( निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 2.23 बजे स्थगित हुई और  
अपराहन 2.30 बजे पुनः समवेत हुई है।)

अपराहन 2.30 बजे

श्री राहुल गांधी ने अपना भाषण पुनः शुरू किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अरुण जेटली

( निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 2.59 बजे स्थगित हुई और  
अपराहन 3.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 3.30 बजे

श्री अरुण जेटली ने अपना भाषण पुनः शुरू किया

2. प्रो० सौगत राय

3. श्री कलिकेश नारायण सिंह देव

4. श्री अरविन्द गणपत सांवत

5. श्री जैदेव गल्ला

6. श्री मोहम्मद सलीम

7. श्री धनंजय भीमराव महाडीक

चर्चा अपूर्ण रही।

( व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 4.47 बजे स्थगित हुई और  
अपराहन 5.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 5.00 बजे

14. नियम 374क के अधीन सभा की सेवा से सदस्यों का निलंबन

अध्यक्ष ने नियम 374क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों के नाम लिए और ये सदस्य सभा की पांच लगातार बैठकों अर्थात् 2, 3, 4, 7 और 8 जनवरी, 2019 के लिए सभा की सेवा से स्वतः निलंबित हो गए:—

1. श्री के० अशोक कुमार

2. श्री भारती मोहन आर०के०

3. श्री एम० चन्द्राकाशी

4. श्री हरि जी०
5. श्री के० परसुरमन
6. श्री पी० कुमार
7. श्री महेन्द्रन सी०
8. श्री ए०पी० नागराजन
9. श्री आर० पार्थिपन
10. श्री प्रभाकरन के०आर०पी०
11. श्री ए० अनवर राजा
12. श्री टी० राधाकृष्णन
13. श्री एस० राजेन्द्रन
14. श्री एस० सेल्वाकुमार चिन्नैयन
15. श्री पी०आर० सुन्दरम
16. श्री वी० एलुमलाई
17. श्री वेंकटेश बाबू टी०जी०
18. डॉ० जे० जयवर्धन
19. डॉ० के० कामराज
20. एडवोकेट एम० उदय कुमार
21. श्रीमती वी० सत्यबामा
22. श्रीमती एम० वसंती
23. श्रीमती के० मरगथम
24. श्रीमती आर० वनरोजा

अपराह्न 5.03 बजे

( व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार, 3 जनवरी, 2019 के  
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

शुक्रवार 28 दिसंबर, 2018 के समाचार भाग-1 संख्या 315 का शुद्धिपत्र

(31.12.2018 के समाचार भाग-1 में प्रकाशित शुद्धिपत्र के अधिक्रमण में)

पृष्ठ 41, क्रम सं० 67 और 68 में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य के स्थान पर श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य पढ़ा जाए।

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

गुरुवार, 3 जनवरी, 2019/13 पौष, 1940 (शक)

---

संख्या 318

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 और 322 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.13 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 323—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

## 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3682—3686, 3688—3712, 3714—3732, 3734—3743, 3745, 3747—3751, 3753—3763, 3765—3770, 3772—3773, 3775—3778, 3780, 3782—3879 और 3881—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 3681, 3687, 3713, 3733, 3744, 3746, 3752, 3764, 3771, 3774, 3779, 3781 और 3880 नियम 374क के अधीन सभा की सेवाओं से सदस्यों के निलंबन के कारण विलोपित किए गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

### 3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (5) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) और धारा 7 की उप-धारा (3)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 की प्रथम छमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में रूझान की अर्द्धवार्षिक समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सरकार की बाध्यताओं को पूरा करने में विचलन को स्पष्ट करने वाला विवरण।

- (7) शेयर बाजार घोटाला तथा उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों, दिसम्बर, 2018 के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वें प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य संशोधन नियम, 2018 जो 5 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 1168(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) डेडीकैटेड फ्रेट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) डेडीकैटेड फ्रेट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।



- (दो) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) उपर्युक्त (9) की मद सं० (ग) और (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्रांड हैडलिंग सर्विसेज) विनियम, 2018 जो 30 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या० एएआई/ओपीएस/707/जीएचआर-2018 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (14) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) सेंट्रल कॉटिज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल कॉटिज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (15) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 4993(अ) जो 27 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1024(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) का०आ० 5396(अ) जो 25 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1024(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) का०आ० 5878(अ) जो 30 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्थायी सलाहकारी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, एक आदेश द्वारा वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग अथवा उनके ऐसे प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करने के लिए ऐसी जूट पैकेज सामग्री में आपूर्ति या वितरण के प्रयोजन हेतु पैक किए जाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा (4) (ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 4959(अ) जो 24 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय जूट बोर्ड में आधिकारिक सदस्य को पुनर्गठित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 3528(अ) जो 20 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 3529(अ) जो 20 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उसमें उल्लिखित

राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कृत्यों का निष्पादन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड करेगा।

- (तीन) का०आ० 3833(अ) जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 एक्सटेंशन के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (चार) का०आ० 3834(अ) जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का०आ० 3835(अ) जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छह) का०आ० 3836(अ) जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (सात) का०आ० 4023(अ) जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को बिहार राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (आठ) का०आ० 4024(अ) जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नौ) का०आ० 4025(अ) जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दस) का०आ० 4026(अ) जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 44 और 108क के खण्डों को त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
- (ग्यारह) का०आ० 4193(अ) जो 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को कर्नाटक राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

- (बारह) का०आ० 4194(अ) जो 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135क के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (तेरह) का०आ० 4195(अ) जो 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौदह) का०आ० 4203(अ) जो 29 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पन्द्रह) का०आ० 4204(अ) जो 29 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को उत्तर प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (सोलह) का०आ० 4713(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (सत्रह) का०आ० 4714(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को गुजरात राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (अठारह) का०आ० 4809(अ) जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को आंध्र प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (उन्नीस) का०आ० 4895(अ) जो 19 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (बीस) का०आ० 4896(अ) जो 19 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

- (इक्कीस) का०आ० 4897(अ) जो 19 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को बिहार राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (बाईस) का०आ० 4898(अ) जो 19 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को बिहार राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (तेईस) का०आ० 5214(अ) जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (चौबीस) का०आ० 5215(अ) जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 78 और 12क के खण्डों को मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (पच्चीस) का०आ० 5216(अ) जो 11 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 78 और 12क के खण्डों को मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (छब्बीस) का०आ० 5565(अ) जो 30 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 65 के खण्डों को राजस्थान राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (सत्ताईस) का०आ० 5566(अ) जो 30 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 65 के खण्डों को राजस्थान राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (अट्ठाईस) का०आ० 5567(अ) जो 30 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 212 के खण्डों को कर्नाटक राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (उनतीस) का०आ० 5568(अ) जो 30 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 212 के खण्डों को कर्नाटक राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

- (तीस) का०आ० 5569(अ) जो 30 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 754ट के खण्डों को गुजरात राज्य में राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।
- (इकतीस) का०आ० 5662(अ) जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 150 के खण्डों को नागालैंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
- (बत्तीस) का०आ० 5663(अ) जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 150 के खण्डों को नागालैंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
- (तैंतीस) का०आ० 5664(अ) जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 39 के खण्डों को मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
- (चौत्तीस) का०आ० 5665(अ) जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 39 के खण्डों को मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
- (पैंतीस) का०आ० 5666(अ) जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 54 और 51 के खण्डों को मिजोरम/मेघालय राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है तथा उसका शुद्धिपत्र, जो 27 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 5837(अ) में प्रकाशित हुआ था, इसमें अंतर्विष्ट है।
- (छत्तीस) का०आ० 5667(अ) जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 54 और 51 के खण्डों को मिजोरम/मेघालय राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

#### 4. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) आयुर्वेद/होम्योपैथी स्नातक और आयुर्वेद/होम्योपैथी में उच्चतर अध्ययन के लिए अन्य पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया को शासित करने वाले अधिनियमों/नियमों/विनियमों/उप-विधियों संबंधी 37वां प्रतिवेदन।
- (2) दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (डीएनआईसीएस) और केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की सेवा शर्त को शासित करने वाले नियमों/विनियमों संबंधी 38वां प्रतिवेदन।
- (3) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।
- (4) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के संशोधन के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।
- (5) आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय से संबंधित संसद के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों पर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।
- (6) आरबीआई पेंशन विनियम, 1990 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

#### 5. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रक्षा खाडसे ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) के 'कृषि विपणन और साप्ताहिक ग्रामीण हाटों की भूमिका' विषय संबंधी 62वां प्रतिवेदन।



- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) के 'अंतर्देशीय मत्स्य-उद्योग और जलकृषि के विकास संबंधी योजना-एक विश्लेषण' विषय के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 53वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 63वां प्रतिवेदन।

#### 6. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० एम० वीरप्पा मोइली ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'भारत में बैंकिंग क्षेत्र—बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों/दबावग्रस्त आस्तियों सहित मुद्दे, चुनौतियां और आगे का मार्ग' संबंधी 68वां प्रतिवेदन।
- (2) 'डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर रूपान्तरण' संबंधी 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 69वां प्रतिवेदन।
- (3) 'अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018' संबंधी 70वां प्रतिवेदन।

#### 7. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में उनके 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (2) 'भारतीय रेल में पुलों का अनुरक्षण : एक समीक्षा' संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

#### 8. रेल संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने 'भारतीय रेल की बकाया राशि' के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में उनके 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

### 9. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

प्रो० चिंतामणि मालवीय ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात पीएसयू में सीएसआर कार्यकलाप' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 48वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

### 10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

कुँवर भारतेन्द्र सिंह ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) जनजातीय कार्य मंत्रालय का 'जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के कार्यक्रम का आकलन' संबंधी 63वां प्रतिवेदन।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का 'अनुसूचित जातियां उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए टु एससीएसपी) स्कीम के कार्यक्रम का आकलन' संबंधी 64वां प्रतिवेदन।
- (3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग) का 'भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के कार्यक्रम की समीक्षा' के बारे में 61वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 65वां प्रतिवेदन।
- (4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का 'बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)/प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) स्कीम का कार्यान्वयन' के बारे में 62वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 66वां प्रतिवेदन।

### 11. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 95वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 98वां प्रतिवेदन।
- (2) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 96वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 99वां प्रतिवेदन।

## 12. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदाओं की मांगों (2018-19) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 260वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

## 13. नियम 374क के अधीन सभा की सेवाओं से सदस्यों का निलंबन

अध्यक्ष ने नियम 374क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों के नाम लिए और ये सदस्य सभा की चार लगातार बैठकों अर्थात् 3,4,7 और 8 जनवरी, 2019 के लिए सभा की सेवाओं से स्वतः निलंबित हो गए:—

1. श्री ए० अरुणमणिदेवन
2. डॉ० सी० गोपालकृष्णन
3. श्री आर० गोपालकृष्णन
4. श्री आर०पी० मरुदराजा
5. श्री जे०जे०टी० नट्टर्जी
6. श्री वी० पन्नीरसेलवम
7. श्री पी०आर० सेनथिलनाथन
8. श्री जैदेव गल्ला
9. श्री एम० मुरली मोहन
10. श्री मगंती वेंकटेश्वर राव (बाबू)
11. श्री मलयाद्रि श्रीराम
12. श्री निम्मला क्रिष्टपा
13. श्री अशोक गजपति राजू
14. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु

15. श्री कोनाकल्ला नारायण राव
16. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती)
17. डॉ० जे०सी० दिवाकर रेड्डी
18. श्री थोट्टा नरसिम्हम
19. श्रीमती रेणुका बुत्ता

(लोक सभा अपराहन 12.10 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

#### 14. नियम 374क के अधीन सभा की सेवाओं से सदस्यों का निलंबन

अध्यक्ष ने नियम 374क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों के नाम लिए और ये सदस्य सभा की चार लगातार बैठकों अर्थात् 3,4,7, और 8 जनवरी, 2019 के लिए सभा की सेवाओं से स्वतः निलंबित हो गए:—

1. डॉ० पी० रवीन्द्र बाबू
2. श्री केसिनेनी नानी

अपराहन: 2.03 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 4 जनवरी, 2019 को पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

शुक्रवार, 4 जनवरी, 2019/14 पौष, 1940 (शक)

---

संख्या 319

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341, 342, 344 और 347 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य जिनके नाम में तारांकित प्रश्न सं० 345 और 348 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न सं० 345 और 348 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 349—352, 354—356 और 358—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न सं० 343, 346, 356 और 357 नियम 374क के अधीन सभा की सेवाओं से सदस्यों के निलंबन के कारण विलोपित किए गए।

## 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911, 3914—3925, 3927—3932, 3934, 3935, 3937—3948, 3951—3959, 3962—3965, 3967—3970, 3972—3976, 3978—3986, 3988—3991, 3994—4000, 4002—4014, 4016—4019, 4021—4041, 4043, 4045—4079, 4081—4118, 4120—4126, 4128—4130 और 4133—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 3912, 3913, 3926, 3933, 3936, 3949, 3950, 3960, 3961, 3966, 3971, 3977, 3987, 3992, 3993, 4001, 4015, 4020, 4042, 4044, 4080, 4119, 4127, 4131 और 4132 नियम 374क के अधीन सभा की सेवाओं से सदस्यों के निलंबन के कारण विलोपित किए गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

### 3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऋषिकेश के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऋषिकेश के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (12) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2018 जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकां० 714(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 11 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं० सांकां० 1020(अ) में प्रकाशित किया गया है।
- (13) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2018 जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकां० 713(अ) में प्रकाशित हुए थे।
  - (दो) होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स) एम०डी० (होम्यो) संशोधन विनियम, 2018, जो 17 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-11/2010-सीसीएच(पीटी० 2)(1) में प्रकाशित हुए थे।
  - (तीन) होम्योपैथी (डिग्री कोर्स) संशोधन विनियम, 2018, जो 14 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-13/2006-सीसीएच (पीटी० 5)(1) में प्रकाशित हुए थे।
  - (चार) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथिक कालेजों और संबद्ध अस्पतालों की न्यूनतम मानक आवश्यकता) संशोधन विनियम, 2018 जो 18 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-15/2012- सीसीएच(पीटी० 2)(1) में प्रकाशित हुए थे।
- (14) (एक) जी०बी० पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जी०बी० पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।



- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) जी०बी० पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जी०बी० पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 6147(अ) जो 13 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना सं० का०आ० 394(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—
- (एक) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) (एक) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) बिल्डिंग मैटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बिल्डिंग मैटीरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) बैंगलोर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बैंगलोर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलुरु का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (घ) (एक) लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) मेट्रो-लिंक एक्सप्रेस फॉर गाँधीनगर एंड अहमदाबाद (मेगा) कंपनी लिमिटेड, गाँधीनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मेट्रो-लिंक एक्सप्रेस फॉर गाँधीनगर एंड अहमदाबाद (मेगा) कंपनी लिमिटेड, गाँधीनगर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (झ) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (24) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (25) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत लैंड पूलिंग विनियम, 2018 जो 24 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का०आ० 5384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) मेट्रो रेल (कैरिज और टिकट) संशोधन नियम, 2018 जो 6 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 837(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) बैंगलोर मेट्रो रेल (कैरिज और टिकट) संशोधन नियम, 2018 जो 6 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि 838(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) चेन्नई मेट्रो रेल (कैरिज और टिकट) संशोधन नियम, 2018 जो 6 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि 839(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (27) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० कांआ 1216(अ) जो 19 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मई, 2017 की पहली तारीख, उसमें उल्लिखित उक्त अधिनियम उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स) विनियम, 2018 जो 30 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/48 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बाध्यताओं और प्रकटन आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/49 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/ एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/50 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/ एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/27 में प्रकाशित हुए थे।
- (29) वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 की धारा 6 और 8 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अधिसूचना सं० कांआ 6142(अ) जो

12 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 15वें वित्त आयोग के एक सदस्य के रूप में श्री शक्तिकांत दास के त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—

- (एक) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद
- (दो) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल
- (तीन) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडापा
- (चार) अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, नाहरलागुन
- (पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
- (छह) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, बेरहामपुर
- (सात) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच
- (आठ) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर
- (नौ) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली
- (दस) बिहार ग्रामीण बैंक, बेगूसराय
- (ग्यारह) सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा
- (बारह) चैतन्य गोदावारी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
- (तेरह) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर
- (चौदह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर
- (पन्द्रह) एलाक्वाई देहाती बैंक, श्रीनगर
- (सोलह) ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त, लखनऊ
- (सत्रह) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
- (अठारह) जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू
- (उन्नीस) झारखंड ग्रामीण बैंक, रांची
- (बीस) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़

- (इक्कीस) काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक, वाराणसी
- (बाईस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर
- (तेईस) केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम
- (चौबीस) लंगपी देहंगी रूरल बैंक, दिफू
- (पच्चीस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर
- (छब्बीस) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
- (सत्ताईस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद
- (अट्ठाईस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर
- (उनतीस) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल
- (तीस) मेघालय रूरल बैंक, शिलांग
- (इकतीस) मिजोरम रूरल बैंक, आईजोल
- (बत्तीस) नागालैंड रूरल बैंक, कोहिमा
- (तैंतीस) नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, इंदौर
- (चौंतीस) ओडिशा ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर
- (पैंतीस) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम
- (छत्तीस) पांड्यन ग्राम बैंक, विरूधुनगर
- (सैंतीस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा
- (अड़तीस) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बल्लारी
- (उनतालीस) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद
- (चालीस) पुदुवई भरतियार ग्राम बैंक, पुदुचेरी
- (इकतालीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
- (बयालीस) पूर्वांचल बैंक, गोरखपुर
- (तैंतालीस) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर
- (चवालीस) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर
- (पैंतालीस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

- (छियालीस) सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक, मेरठ
- (सैंतालीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
- (अड़तालीस) सतलज ग्रामीण बैंक, बठिंडा
- (उनचास) तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
- (पचास) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
- (इक्यावन) उत्कल ग्रामीण बैंक, बोलंगीर
- (बावन) उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
- (तिरपन) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
- (चौवन) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून
- (पचपन) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका
- (छप्पन) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर
- (31) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2018, जो 18 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1217(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) आयकर (13वां संशोधन) नियम, 2018, जो 18 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 6054(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का०आ० 6053(अ), जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा धारा 115अछ के अंतर्गत विदेशी बैंक की भारतीय शाखा के संपरिवर्तन को, संपरिवर्तन द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए और साथ ही ऐसे संपरिवर्तन पर आयकर अधिनियम, 1961 के कतिपय उपबंधों के लागू होने में उपांतरणों, अपवादों आदि को भी विनिर्दिष्ट करते हुए सुकर बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।



(32) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

- (एक) सांका० 533(अ) जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिहरण या शास्ति के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए सीमा-शुल्क अधिकारियों को शक्तियां सौंपी गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांका० 622(अ) जो 11 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) शुल्क उद्ग्रहण (सीमा शुल्क दस्तावेज) संशोधन विनियम, 2018, जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 3687(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सी कार्गो मैनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट (संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 716(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) कुरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स (क्लीयरेंस) संशोधन विनियम, 2018, जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 736(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) कुरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग) संशोधन विनियम, 2018, जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 737(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांका० 735(अ) जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें उल्लिखित सीमा-शुल्क अधिकारियों को सीमा-शुल्क आयुक्त (अपील) के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां सौंपते हुए उनकी नियुक्ति के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सीमा-शुल्क (अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना) विनियम, 2018, जो 14 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 779(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) सांकांनि 791(अ) जो 21 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सींशु (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकांनि 1085(अ) जो 5 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा-शुल्क अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस के न्यायनिर्णयन के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सी कार्गो मैनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, जो 30 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1076(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (33) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) कांआं 6254(अ) जो 21 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक का दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।
- (दो) कांआं 6255(अ) जो 21 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलज ग्रामीण बैंक के पंजाब ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।
- (34) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उप-धारा (6) के अंतर्गत विजय बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समामेलन स्कीम, 2019 जो 2 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संं सांकांनि 2(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(क) (एक) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, परनेम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, परनेम का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (च) (एक) एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (37) (एक) जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (39) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (41) (एक) पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर), श्रीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर), श्रीनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### 4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि 3 जनवरी, 2019 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018 को संशोधनों के साथ पारित कर दिया है और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।
- (दो) कि 3 जनवरी, 2019 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 को संशोधनों के साथ पारित कर दिया है और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।

#### 5. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित—सभा पटल पर रखा गया

(एक) *राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018*

(दो) *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018*

#### 6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 59वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

#### 7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण

संबंधी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में बीड़ी कर्मकारों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन।
- (2) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व और उनकी शिकायतों का निवारण तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आईडीबीआई बैंक द्वारा प्रदान की जा रही ऋण सुविधाएं' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

#### 8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

डॉ० किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी ने संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन' के बारे में 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

#### 9. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० कंभमपति हरिबाबू ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में दबावग्रस्त/गैर निष्पादनकारी आस्तियां' के बारे में 42वां प्रतिवेदन।
- (2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'हाइड्रो पावर' के बारे में 43वां प्रतिवेदन।

## 10. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ० कंभमपति हरिबाबू ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2018-19) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का 29वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का 41 वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

## 11. मंत्री द्वारा वक्तव्य

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-2019) पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

\*अपराह्न 12.06 बजे

## 12. सदस्य द्वारा निवेदन

डॉ० एम० तंबिदुरै ने एआईएडीएमके और टीडीपी के सदस्यों का निलंबन वापस लेने के संबंध में निवेदन किया।

अध्यक्ष ने इस पर टिप्पणी# की।

%श्री अर्जुन राम मेघवाल ने उत्तर दिया।

\*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.19 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#मूल रूप से हिन्दी में। विस्तृत विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

%संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.20 बजे

### 13. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 6 घंटे 13 मिनट

श्री राहुल गांधी द्वारा 2 जनवरी, 2019 को उठाए गए राफेल सौदे संबंधित मुद्दे पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री धर्मेन्द्र यादव
2. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी
3. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
4. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
5. श्री पी०के० कुनहलिकुट्टी
6. श्री भगवंत मान
7. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
8. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
9. श्री कौशलेन्द्र कुमार
10. श्री निशिकांत दुबे
11. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री राहुल गांधी और डॉ० एम० तंबिदुरै ने स्पष्टीकारक प्रश्न पूछे।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

चर्चा पूरी हुई।

### #14. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि नियम 193 के अधीन चर्चा तथा अन्य सूचीबद्ध मदों को आज पूरा किया जाए तथा आज के गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को किसी अन्य दिवस के लिए स्थगित किया जाए।

---

#अपराह्न 3.30 बजे



अपराह्न 4.27 बजे

#### 15. सांविधिक संकल्प—पेश नहीं किया गया

लिया गया समय: 44 मिनट

चूंकि वे सभी सदस्य जिनके नाम में सांविधिक संकल्प सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे, सांविधिक संकल्प पेश नहीं किया गया।

#### 16. सरकारी विधेयक—पारित

(एक) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री अरुण जेटली की ओर से श्री पी०पी० चौधरी द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री तथागत सत्पथी
2. श्री भीमराव बसंतराव पाटील

श्री पी०पी० चौधरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री भर्तृहरि महताब ने स्पष्टीकारक प्रश्न पूछे।

श्री पी०पी० चौधरी ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खंड 2, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 4, स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 9 से 32 स्वीकृत हुए।

खंड 33, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी०पी० चौधरी द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराहन 5.11 बजे

*(दो) आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018*

लिया गया समय: 45 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री तथागत सत्पथी
2. श्री शरद त्रिपाठी
3. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

श्री रवि शंकर प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 से 27 स्वीकृत हुए।

खंड 1 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराहन 5.56 बजे

*(तीन) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2018*

लिया गया समय: 13 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा पेश किया गया।

श्री रत्न लाल कटारिया ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 34 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

सांय 6.09 बजे

(लोक सभा सोमवार, 7 जनवरी, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

# लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तान्त)

सोमवार, 7 जनवरी, 2019/17 पौष, 1940 (शक)

संख्या 320

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनका नाम तारांकित प्रश्न सं० 361 के लिए सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न सं० 361 के संबंध में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

( व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और  
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 362—377 और 379-380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न सं० 378 नियम 374क के अधीन सभा की सेवा से सदस्य के निलंबन के कारण विलोपित किया गया।

## 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4154, 4156, 4158—4162, 4164—4167, 4170—4172, 4174—4179, 4181—4184, 4186-4187, 4189—4192, 4194—4209, 4211—4213, 4217-4218, 4221—4225, 4227—4233, 4235—4239, 4241—4259, 4261—4269, 4271—4295, 4297—4301, 4303—4305, 4307—4336, 4338—4344, 4346—4362, 4364—4366 और 4368-69 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित

प्रश्न संख्या 4155, 4157, 4163, 4168, 4169, 4173, 4180, 4185, 4188, 4193, 4210, 4214—4216, 4219, 4220, 4226, 4234, 4240, 4260, 4296, 4302, 4306, 4337, 4345, 4363, 4367 और 4370 नियम 374क के अधीन सभा की सेवाओं से सदस्यों के निलंबन के कारण विलोपित किए गए। अतारांकित प्रश्न सं० 4270 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम 47 के अधीन विलोपित किया गया।

मध्याह्न 12.00 बजे

### 3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
  - (दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2018 जो 16 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 650(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
  - (दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
  - (तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्सेस एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्सेस एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वृंदावन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वृंदावन के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड की उप-धारा (6) के अंतर्गत हजरतगंज, लखनऊ में केन्द्र द्वारा संरक्षित संस्मारक अमजद अली शाह का मकबरा, उप-विधियां, 2018 का राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-विधियां की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) पंद्रहवीं और सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

**पंद्रहवीं लोक सभा**

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1. विवरण संख्या 28 | आठवां सत्र, 2011         |
| 2. विवरण संख्या 26 | दसवां सत्र, 2012         |
| 3. विवरण संख्या 18 | पन्द्रहवां सत्र, 2013-14 |

**सोलहवीं लोक सभा**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 4. विवरण संख्या 16 | तीसरा सत्र, 2014      |
| 5. विवरण संख्या 15 | चौथा सत्र, 2015       |
| 6. विवरण संख्या 13 | पांचवां सत्र, 2015    |
| 7. विवरण संख्या 12 | छठा सत्र, 2015        |
| 8. विवरण संख्या 10 | सातवां सत्र, 2016     |
| 9. विवरण संख्या 10 | आठवां सत्र, 2016      |
| 10. विवरण संख्या 9 | नौवां सत्र, 2016      |
| 11. विवरण संख्या 7 | दसवां सत्र, 2016      |
| 12. विवरण संख्या 7 | ग्यारहवां सत्र, 2017  |
| 13. विवरण संख्या 5 | बारहवां सत्र, 2017    |
| 14. विवरण संख्या 4 | तेरहवां सत्र, 2017-18 |
| 15. विवरण संख्या 3 | चौदहवां सत्र, 2018    |
| 16. विवरण संख्या 2 | पन्द्रहवां सत्र, 2018 |

- (12) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) शैलैक एंड फोरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शैलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) शैलैक एंड फोरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शैलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) बेसिक केमिकल्स कॉस्मेटिक्स एंड डार्ज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल) मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बेसिक केमिकल्स कॉस्मेटिक्स एंड डार्ज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2017-18 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।



- (17) (एक) केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
- (20) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स) धनबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्थ ईस्ट रीजन), कानपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (30) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोना हिल्स के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोना हिल्स के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (33) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (38) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सीयूकेएमआर/एडमिन/एफ० नं० 595/17/3272 जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 3, 21, 5, 20, 25, 26, 27, 28, 29, और 7 संबंधित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल/पीएच०डी० डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, जो 18 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० 1-1/2002 (पीएस) एग्जैम्प्ट (पीटीएफआई० III) वोल्यूम० II में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल/पीएच०डी० डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) (पहला संशोधन) विनियम, 2018, जो 27 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० 1-1/2002 (पीएस) एग्जैम्प्ट (पीटीएफआई० III) वोल्यूम० II में प्रकाशित हुए थे।
- (40) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### 4. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां—कार्य का सारांश

महासचिव ने 'विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां—कार्य का सारांश (1 सितम्बर, 2016 से 31 अगस्त, 2017)' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

#### 5. संसदीय समितियां (वित्तीय तथा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश

महासचिव ने 'संसदीय समितियां (वित्तीय तथा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश (1 जून, 2016 से 31 मई, 2017)' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

#### 6. लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने लोक सभा सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमानपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति का छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

#### 7. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

### 8. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत बी० खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2018-19) का 38वां (मूल प्रतिवेदन), तथा 39वां (की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

### 9. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० तापस मंडल ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सोलहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किए:—

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के 'राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल — एक कार्यनिष्पादन समीक्षा' विषय के बारे में 64वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के 'आईसीएआर-केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान — एक कार्यनिष्पादन समीक्षा' विषय के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 58वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 65वां प्रतिवेदन।

### 10. कृषि संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ० तापस मंडल ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 38वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 46वां प्रतिवेदन।
- (2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 50वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

### 11. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कलराज मिश्र ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'वर्तमान व्यवस्था के बजाय अव्यपगतनीय पूंजी निधि खाता के सृजन के बारे में

32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 44वां प्रतिवेदन।

- (2) 'पूर्व-सैनिकों के पुनर्वास के बारे में 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 45वां प्रतिवेदन।
- (3) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तट रक्षक, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा सरकारी क्षेत्र उपक्रम, पूर्व-सैनिकों का कल्याण, रक्षा पेंशन, पूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (मांग संख्या 19 और 22) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2018-19 की अनुदानों की मांगों पर 40वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 46वां प्रतिवेदन।
- (4) 'सेना, नौसेना और वायु सेना (मांग संख्या 20) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2018-19 की अनुदानों की मांगों पर 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 47वां प्रतिवेदन।
- (5) 'रक्षा सेवाओं, अधिप्रापण नीति और रक्षा योजना संबंधी पूंजी परिव्यय (मांग संख्या 21) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2018-19 की अनुदानों की मांगों पर 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 48वां प्रतिवेदन।
- (6) 'आयुध निर्माणियों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीजीव्यूए और एनसीसी का राजस्व बजट (मांग संख्या 20) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2018-19 की अनुदानों की मांगों पर 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 49वां प्रतिवेदन।

## 12. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ० स्वामी साक्षीजी महाराज ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को



दर्शाने वाले अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) (16वीं लोक सभा) पर 22वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2018-19) (16वीं लोक सभा) पर 23वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

### 13. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी ने 'पेट्रोलियम क्षेत्र में संरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलू' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

### 14. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 'महानगरों में वर्षा जल संचयन' विषय के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2018-19) का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

### 15. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) का 'असम गैस क्रैकर परियोजना' विषय के संबंध में 49वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 53वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

### 16. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० फारूख अब्दुल्ला ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 147वां प्रतिवेदन।

- (2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 141वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 148वां प्रतिवेदन।

#### 17. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—
- (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) खान मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) से संबंधित क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 289वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (3) पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 261वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (4) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'निर्यात पर माल और सेवाकर (जीएसटी) का प्रभाव' के बारे में वाणिज्य

संबंधी स्थायी समिति के 139वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

- (5) रक्षा मंत्री ने एचएएल को दिए गए आदेशों और प्रक्रियाधीन आदेशों के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

#### 18. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 4 जनवरी, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 59वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#### 19. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल द्वारा अहमदाबाद से हरिद्वार तक नई रेल सेवा चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा युवाओं में नशाखोरी के बढ़ते हुए मामले के बारे में।
- (3) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा बरवाडीह-चिरीमिरी रेल लाईन बिछाए जाने के बारे में।
- (4) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा अनुसूचित जातियों के आरक्षण अधिकारों के संरक्षण के बारे में।
- (5) श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमिलेयर की आय-सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० उदित राज द्वारा सेवा प्रदाताओं पर जीएसटी लगाए जाने के बारे में।
- (7) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षकों के रूप में आमेलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (8) श्री कीर्ति झा आजाद द्वारा बिहार में लोहना रोड से मुक्तापुर नई रेल लाईन परियोजना आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बारे में।
- (10) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का अन्य शाखा में विलय किए जाने के बारे में।
- (11) कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा कर्नाटक में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के बारे में।
- (12) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा गंगा नदी की सहायक नदी काली को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जम्मू के तदर्थ शिक्षकों को वेतनमान दिए जाने के बारे में।
- (14) श्री राजीव शंकरराव सातव द्वारा महाराष्ट्र में किसानों को ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री एस०पी० मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा बंद पड़े केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों का भूमि बैंक बनाए जाने के बारे में।
- (16) कुमारी सुष्मिता देव द्वारा असम में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की दो ईकाइयों को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) डॉ० के० गोपाल द्वारा 'गाजा' चक्रवात को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) प्रो० सौगत राय द्वारा असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में।
- (19) श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा एटीएम मशीनों को बंद किए जाने के बारे में।
- (20) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में।
- (21) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा मदुरै अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम बदले जाने के बारे में।

- (22) श्री बी०बी० पाटील द्वारा मिनी आंगनवाड़ी अध्यापिकाओं का वेतन बढ़ाए जाने के बारे में।
- (23) श्री पी०के० बिजू द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 544 के वडाकन्वेरी-मन्तुथी खंड पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में।
- (24) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा शिशु ऋण की सीमा के बारे में।
- (25) श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव) द्वारा बिहार के नालंदा में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारने की घटना के बारे में।
- (26) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार की लोहार जाति को राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (27) श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन द्वारा पुनालुर-शेनकोट्ट रेल मार्ग का उपयोग नहीं किए जाने के बारे में।

अपराहन 12.13 बजे

#### 20. नियम 374क के अधीन सभा की सेवाओं से सदस्यों का निलंबन

अध्यक्ष ने नियम 374क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों के नाम लिए और ये सदस्य सभा की लगातार दो बैठकों अर्थात् 7 और 8 जनवरी, 2019 के लिए सभा की सेवाओं से स्वतः निलंबित हो गए:—

1. डॉ० पी० वेणुगोपाल
2. डॉ० के० गोपाल
3. श्री के०एन० रामचन्द्रन
4. डॉ० नारामल्ली शिवप्रसाद

( लोक सभा अपराहन 12.15 बजे स्थगित हुई और अपराहन 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

\*अपराहन 12.30 बजे

( लोक सभा अपराहन 12.58 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।)

---

\*अपराहन 12.30 बजे से अपराहन 12.58 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 2.03

## 21. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमति हुई

*#राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018*

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रस्ताव किया कि विधेयक लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए:—

### खण्ड 1

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में “अधिनियम, 2018” शब्द और अंक के स्थान पर “अधिनियम, 2019” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रस्ताव किया कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधन पर सहमति हुई।

## 22. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमति हुई

*% निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018*

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रस्ताव किया कि विधेयक लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए:—

### खण्ड 1

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में “अधिनियम, 2018” शब्द और अंक के स्थान पर “अधिनियम, 2019” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

#विधेयक लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 2018 को पारित किया गया और सहमति के लिए राज्य सभा को भेजा गया। राज्य सभा ने 3 जनवरी, 2019 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधन के साथ पारित किया और 4 जनवरी, 2019 को इसे लोक सभा को लौटा दिया।

%विधेयक लोक सभा द्वारा 18 जुलाई, 2018 को पारित किया गया और सहमति के लिए राज्य सभा को भेजा गया। राज्य सभा ने 3 जनवरी, 2019 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधन के साथ पारित किया और 4 जनवरी, 2019 को इसे लोक सभा को लौटा दिया।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रस्ताव किया कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर सहमति हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधन पर सहमति हुई।

( व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.08 बजे स्थगित हुई और  
अपराह्न 2.31 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.31 बजे

### 23. सरकारी विधेयक—पारित

स्वीय विधि ( संशोधन ) विधेयक, 2018

लिया गया समय: 24 मिनट

श्री रवि शंकर प्रसाद की ओर से श्री पी०पी० चौधरी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कल्याण बनर्जी
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. श्री विनोद कुमार बोइलापल्ली
4. श्री असादुद्दीन ओवैसी
5. श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान

श्री पी०पी० चौधरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी०पी० चौधरी द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 2.55 बजे

#### 24. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 03 मिनट

शेष : 1 घंटा 57 मिनट

श्री भर्तृहरि महताब ने देश के विभिन्न भागों, विशेषकर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे गाजा, तितली आदि चक्रवातों के विशेष संदर्भ में चर्चा उठाई।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 2.58 बजे

( व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 8 जनवरी, 2019 को  
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

---

शुक्रवार, 4 जनवरी, 2019 के समाचार भाग-1 संख्या 319 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ 1, मद संख्या 1, पंक्ति सं० 5 में 356 के स्थान पर 353 पढ़ा जाए।



# लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 8 जनवरी, 2019/18 पौष, 1940 (शक)

संख्या 321

पूर्वाह्न 11.00 बजे

## 1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं० 381-385 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं० 386, 388—394 और 396—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न सं० 387 और 395 नियम 374क के अधीन सभा की सेवाओं से सदस्यों के निलंबन के कारण विलोपित किए गए।

## 2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं० 4372—4378, 4380—4382, 4384—4391, 4393—4395, 4397—4407, 4409—4414, 4416—4417, 4419, 4421—4422, 4424—4431, 4433—4437, 4439—4440, 4442—4445, 4447—4455, 4457—4462, 4464, 4466—4506, 4508—4514, 4516—4523, 4527—4539, 4541—4543, 4547—4560, 4562—4571, 4573—4575, 4577—4584, 4586—4589, 4591—4593, 4595, 4597 और 4599 सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न सं० 4371, 4379, 4383, 4392, 4394, 4396, 4408, 4415, 4418, 4420, 4423, 4432, 4438, 4441, 4446, 4456, 4463, 4465, 4507, 4515, 4524, 4525—4526, 4540, 4544—4546, 4561, 4572, 4576, 4585, 4590, 4594, 4596, 4598, और 4600 सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

### 3. सभा पटल पर रखे गये पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (3) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
  - (दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
  - (क) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमेर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमेर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड) नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड) नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 5571(अ) जो 31 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रबी सत्र 2018-2019 के दौरान घरेलू विनिर्माताओं द्वारा निर्मित यूरिया की राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को की गई आपूर्तियों को इंगित करने वाला आदेश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर), दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर), दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिल्ली

के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (11) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (13) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2017-18 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
  - (ख) (एक) पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
  - (दो) पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (19) (एक) दामोदर वैली कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दामोदर वैली कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौते ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज वेल्फेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज वेल्फेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) हिन्दुस्तान प्रिफ़ैब लिमिटेड, नई दिल्ली, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2018 का संख्यांक 16) (राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)।
- (दो) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (रेल) (2018 का प्रतिवेदन संख्यांक 19) — भारतीय रेल द्वारा संविदा श्रमिक को कार्य पर रखने के लिए कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।
- (तीन) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) (2018 का संख्यांक 20) राजवितीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 का अनुपालन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

- (चार) मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2018 का संख्यांक 21) संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- (पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2018 का संख्यांक 22) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।
- (25) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 जो 13 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/51 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (29) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन।

- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2018 जो 23 अक्टूबर, 2018 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० 16/01/2018/एचपी-आई/स्थापना/5475-5477 में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 6313(अ) जो 26 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम संख्या 40 पर “दि खालिस्थान लिबरेशन फोर्स और उसके सभी रूप” का नाम जोड़ा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड आर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2015-2016 और वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।
- (दो) कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड आर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2015-2016 और वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।



- (तीन) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

- (क) (एक) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (42) उपर्युक्त (41) की मद संख्या (ख) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) उर्वरक (अजैविक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) (पाँचवां) संशोधन आदेश, 2018 जो 1 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 5887(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) उर्वरक (अजैविक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2018 जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 3720(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (44) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (आठवां संशोधन) आदेश, 2018, जो 26 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 5830(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (नौवां संशोधन) आदेश, 2018, जो 19 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 6224(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (46) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (47) (एक) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (51) नेशनल हैण्डिकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय नागरिकता कार्डों को जारी करना) संशोधन नियम, 2018, जो 30 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 722(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर, आर्टिस्ट-सह-ड्राफ्ट्समैन, भर्ती नियम, 2018 जो 26 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 313(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (स्टेनो) और हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 16 नवम्बर, 2018 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1121(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल समूह 'ग' कम्बैटइज्ड (अराजपत्रित) पैरा-वेटेरिनरी पद भर्ती नियम, 2018, जो 30 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 283 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

- (एक) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग कैडर, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2018, जो 7 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 531(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन और बार्बर) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2018, जो 28 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 591(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, कम्बेटेंट (अनुसचिवीय संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2018, जो 9 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 619(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018, जो 18 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 655(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 10 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 1018(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (पांच) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर संवर्ग, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2018, जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 739(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) गृह मंत्रालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, टेलर कॉब्लर एंड गार्डनर संवर्ग, समूह 'ख' और 'ग' पद, भर्ती नियम, 2018, जो 10 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1015(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) गृह मंत्रालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, डिप्टी कमांडेंट (राजभाषा) और असिस्टेंट कमांडेंट (राजभाषा) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2018, जो 10 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1016(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) गृह मंत्रालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनिमल ट्रांसपोर्ट संवर्ग, समूह 'क' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद, भर्ती नियम, 2018,

जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 1099(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (नौ) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, हिन्दी अनुवादक समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018, जो 10 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 1014(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) गृह मंत्रालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट संवर्ग (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2018, जो 10 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 1017(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2018, जो 14 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 1112(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ट्रांसपोर्ट संवर्ग (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2018, जो 14 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 1113(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2018, जो 14 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 1114(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (60) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
  - (एक) नागरिकता (संशोधन) नियम, 2018, जो 22 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 1049(अ) में प्रकाशित हुए थे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
  - (दो) नागरिकता (दूसरा) संशोधन नियम, 2018, जो 3 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 1158(अ) में प्रकाशित हुए थे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (62) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (64) (एक) सेंट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।



- (दो) सेंट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (66) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कॉर्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कॉर्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (68) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (71) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (72) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) (एक) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018

के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (75) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

- (एक) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (76) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

- (एक) लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2018, जो 14 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकांनि 780(अ) आवश्यक वस्तु/चीनी में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) गन्ना (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश 2018, जो 12 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० कांआ 5258(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (77) भाण्डागारण (विकास और विनियम) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 12 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकांनि 865(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (78) (एक) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 और वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 और वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) (एक) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और डिस्ट्रिक्ट फोरम पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2018 जो 5 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० 335(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कापॉरिट अफेयर्स, गुडगांव के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कापॉरिट अफेयर्स, गुडगांव के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (84) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (86) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (87) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2018 जो 7 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-3(2)/रिजिन-जन (अमेंडमेंट)/2018/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (88) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (90) (एक) वर्ष 2017-2018 के लिए छावनी बोर्डों के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) वर्ष 2017-2018 के लिए छावनी बोर्डों के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (91) (एक) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटैनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटैनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (92) (एक) सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (94) सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (96) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (97) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा(3) के अंतर्गत भाग श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2018 जो 4 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1167(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (98) जम्मू और कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2001-2002 से 2017-2018 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के अंदर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (99) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव डवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल कोऑपरेटिव डवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल कोऑपरेटिव डवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) नेशनल कोऑपरेटिव डवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (100) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कुसुम बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2018 जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 600(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#### 4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा, 4 जनवरी, 2019 को हुई अपनी बैठक में 22.07.2014 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के पैरा 3 को निलंबित करने और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2018-2019) में राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों की कार्यकाल वर्तमान लोक सभा की अवधि के अंतिम दिन तक बढ़ाए जाने हेतु लोक सभा की सिफारिश, जिसे लोक सभा द्वारा 20.12.2018 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किया गया था से सहमत है।

#### 5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही-सारांश

श्री रत्न लाल कटारिया ने वर्तमान सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की हुई 44वीं और 45वीं बैठकों का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

## 6. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकृत) के बारे में 83वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत) के बारे में 84वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकृत) के बारे में 85वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (4) आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत) के बारे में 86वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (5) खान मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 87वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (6) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 88वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (7) रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 89वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (8) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 90वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

## 7. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) की समीक्षा—समस्याएं और चुनौतियां' के बारे में 59वां प्रतिवेदन।
- (2) डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'भुगतान बैंक के रूप में पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना—व्याप्ति, उद्देश्य और ढांचा' के बारे में 60वां प्रतिवेदन।



### 8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री अभिजित मुखर्जी ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

### 9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) मानव संसाधन विकास मंत्री ने श्री बी०वी० नाईक, संसद सदस्य द्वारा 'बीच में विद्यालय की पढ़ाई छोड़ने वाले' के बारे में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 271 के 31 दिसम्बर, 2018 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य दिया।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—
  - (i) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रभाव' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
  - (ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित व्यापक कृषि अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 50वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (4) योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के

43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

- (5) \*गृह मंत्रालय से संबंधित सीमा सुरक्षा; क्षमता निर्माण और संस्थानों के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 203वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 205वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पर रखा।

अपराहन 12.12 बजे

#### 10. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने की अनुमति के संबंध में पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध हुआ।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन, डॉ० ए० सम्पत, श्री एम०बी० राजेश और डॉ० शशि थरूर ने विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया और श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से स्पष्टीकारक प्रश्न पूछे।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

#(दो) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

#(तीन) संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

अपराहन 12.29 बजे

#### 11. सरकारी विधेयक—पारित

(i) डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2018

लिया गया समय: 1 घंटा 35 मिनट

डॉ० हर्ष वर्धन ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

---

\*अपराहन 12.28 बजे।

#अपराहन 12.46 बजे।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ० शशि थरूर
2. श्री संजय जायसवाल
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री पी०के० बीजू
5. डॉ० बूरा नरसैय्या गौड
6. श्री कौशलेन्द्र कुमार
7. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन
8. श्री प्रेम दास राई

डॉ० हर्ष वर्धन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13 से 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20 स्वीकृत हुआ।

खंड 21 स्वीकृत हुआ।

खंड 22 स्वीकृत हुआ।

खंड 23 से 30 स्वीकृत हुए।

खंड 31 से 61 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ० हर्ष वर्धन द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 2.07 बजे

(ii) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित

लिया गया समय: 2 घंटा 54 मिनट

श्री राजनाथ सिंह ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. प्रो० सौगत राय
2. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
3. श्री एस०एस० अहलुवालिया
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री अरविंद गणपत सावंत
6. श्री मोहम्मद सलीम
7. श्री मुलायम सिंह यादव
8. मौलाना बदरुद्दीन अज़मल
9. श्री पी०के० कुन्हालिकुट्टी
10. श्रीमती बिजोया चक्रवर्ती
11. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
12. श्री असादुद्दीन ओवैसी
13. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
14. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
15. श्री सुनील कुमार सिंह

श्री राजनाथ सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री राजनाथ सिंह द्वारा विधेयक, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.04 बजे

(तीन) संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

लिया गया समय: 4 घंटे 55 मिनट

डॉ० थावरचंद गहलोट द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—

1. प्रो० के०वी० थॉमस
2. श्री अरुण जेटली
3. डॉ० एम० तंबिदुरै
4. श्री सुदीप बंद्योपाध्याय
5. श्री आनंदराव अडसुल
6. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी
7. श्री राम विलास पासवान
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री जितेन्द्र चौधरी
10. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
11. श्री धर्मेन्द्र यादव

12. डॉ० महेन्द्र नाथ पांडेय
13. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
14. श्री निशिकांत दुबे
15. श्री भगवंत मान
16. श्री उपेन्द्र कुशवाहा
17. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
18. श्री नंद कुमार सिंह चौहान
19. श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर
20. प्रो० रिचर्ड हे
21. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन
22. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
23. श्री दुष्यंत चौटाला
24. श्री रामदास अठावले
25. श्री असादुद्दीन ओवैसी
26. श्री कौशलेन्द्र कुमार
27. श्री प्रेम दास राई
28. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
29. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
30. श्री वेंकटपुरा सुब्बाइया उग्रप्पा

डॉ० थावरचंद गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हां 319, #नहीं 4, प्रस्ताव, सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडवार विचार शुरू किया गया।

खण्ड 2 और 3 को स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हां 316, #नहीं 5.

खण्ड 2 और 3 सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुए।

खंड 1 में संशोधन संख्या 1 को मतदान के लिए रखा गया और यह स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित को स्वीकार करने हेतु प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हां 323, #नहीं 3.

खंड 1, यथासंशोधित को सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ० थावरचंद गहलोट द्वारा विधेयक, यथासंशोधित को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ तथा मत-विभाजन का परिणाम था: #हां 323, #नहीं 3.

प्रस्ताव, सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा स्वीकृत हुआ।

विधेयक, यथासंशोधित को संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुरूप अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किया गया।

## @12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कार्य मंत्रणा समिति के साठवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया।

रात्रि 10.00 बजे

**13. विदाई संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने 16वीं लोक सभा के सोलहवें सत्र के समापन पर विदाई उल्लेख किया।

रात्रि 10.06 बजे

**14. राष्ट्रीय गीत**

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

रात्रि 10.08 बजे

*(लोक सभा रात्रि 10.08 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)*

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव